

# The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

PART II--Section 3-Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित **PUBLISHED BY AUTHORITY** 

<u>a</u>64 सं० ३४.8] मई विल्नी, मंगनवार, सितम्बर 8, 1992/भाव 17 1914 No. 318 -NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 8, 1992/BHADRA 17, 1914

> इ.स भाग में भिन्न पुष्ठ संख्या वी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा का सक Separate Paging is given to this Pat) in order that it may be filed as a separate compilation

बिन्त मत्रालय (राजस्व विभाग) (विदेश कर प्रभाग) ग्रधिमुचना नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 1992 (ग्रायकर)

मा. का नि 758(ग्र) — मत ग्राय पर करा के सबंध मे दोहरे कराधान के परिहार और वित्तीय प्रपत्रंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और बाग्लादेश लोक गणराज्य की सरकार के बीच सम्पन्न सलग्त ग्रभिममय, 27 मई, 1992 को उक्त ग्रभिममय के ग्रन्च्छेद 31 के पैराग्राक 1 द्वारा यथा-प्रनेक्षित श्रन्ममर्थन के दम्ता-वेजो के ग्रादान-पदान के पश्वात् लागु हो गया है ;

ग्रान ग्राव, ग्रायकर ग्राजिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 द्वारा प्रदत गक्तियो का प्रयोग करने इए, केन्द्रीय सरकार एनदढारा यह निदेश देनी है कि उक्त

2271 GI/92

श्रभिममय के सभी उपबन्धों को भारत संघ में प्रभावी बनाया নাদ।

#### ग्रनलग्नक

श्रार परकरो के सबध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व के ग्रापक्चन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा बाग्लादेश लोक गणराज्य की सरकार के बीच अभिसमय

```
भारत गणराज्य की सरकार
           तथा
बाग्लादेण नोक गणगाज्य की
```

#### सरकार

ग्राय पर करो के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्य के श्रपवंचन को रोकने के लिए एक ग्रभिसमय सम्पन्न करने की इच्छा में नीचे गिखे अनुसार सहमत हुई है :

(1)

ग्रध्याय-1

# ग्रभिसमय का विषय-क्षेत

ग्रनुच्छेद-1

# वैयक्तिक विषय-क्षेत्र

यह मभिसमय उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो संविदा-कारी राज्यों में से किसी एक श्रथवा दोनों संविदाकारी राज्यों के निवासी हैं ।

# भ्रनुच्छेद 2

# म्रभिसमय के ग्रन्तर्गंत ग्राने वाले कर

 (1) यह प्रभित्तनय जिन वर्तमान करों पर लागू होगा वे निम्नलिखित हैं:---

- (क) भारत के मामले में :
  - (i) ग्रायकर, जिसमें उस पर लगाया गया कोई भी ग्रधिभार शामिल है;
  - (ii) ग्रधिकर, (जिसे इसके बाद ''भारतीय कर'' कहा गया है) ;
- (ख) बांग्लादेश के मामने में श्रायकर

(जिमे इसके बाद ''बांग्लादेश कर'' कहा गया है )।

(2) यह प्रभिसमय किन्हीं समरूप ग्रथवा पर्याप्त रूप मे एक समान उन करों पर भी लागू होगा, जो दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी भी संविदाकारी राज्य द्वारा, पैरा 1 में उल्लिखित करों के श्रतिरिक्त, श्रथवा उनके स्थान पर, वर्तमान ग्रभिसमय पर हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात् लगाए जाएंगे । संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ग्रपने-प्रपने कराधान कानूनों में किए गए किन्हीं भी महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में एक दूसरे को ग्रधिसूचित करेंगे ।

# ग्रध्याय -11

# परिभाषाएं ग्रन्च्छेद 3

# सामान्य परिभाषाएं

 (1) इस अभिसमय में, जब तक विषयगत पाठ में ग्रन्थथा अपेक्षिन नहीं हो :

- (क) ''बांग्लादेश'' शब्द से बांग्लादेश लोक गणराज्य श्रभिप्रेत है ;
- (ख) "भारत" मन्द से भारत गणराज्य श्रभिप्रेत है ;
- (ग) "एक संविदाकारी राज्य" और "दूसरे संविदाकारी राज्य" शब्दों से ग्रभिप्राय, विषयगत पाठ की अपेक्षा के झनुसार बांग्लादेश झथवा भारत श्रभिप्रेत है ;

- (घ) ''कर'' शब्द से विषयगत पाठ की अपेक्षा के धनुसार बांग्लादेश कर ग्रथवा भारतीय कर प्रभि-प्रेत है ;
- (ङ) ''व्यक्ति'' शब्द में कोई व्यष्टि कोई कम्पनी और कोई ग्रन्थ सत्ता शामिल है, जिसे संबंधित संविदा-कारी राज्यों के प्रवर्त्तमान कराधान कानूनों के श्रधीन एक कर-योग्य एकक केरूप में समझा जाता है ;
- (भ) "कम्पनी" शब्द से कोई भी ऐसी कम्पनी, निगमित निकाय श्रथवां कोई श्रन्य सत्ता श्रभिप्रेत है, जो संबधित संविदाकारी राज्यों के कराधान कानूनों के अंतर्गत एक कम्पनी के रूप में मानी जाती है;
- (छ) "एक संविदाकारी राज्य का निवासी" तथा "दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी" ग्रब्दों से विपयगत पाठ की श्रपेक्षा के ग्रनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति ग्रभिप्रेत है, जो बांग्लादेश का निवासी है ग्रथवा कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो भारत का निवासी है;
- (ज) "एक संविदाकारी राज्य का उद्यम" और "दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम" गब्दों से कमश: एक संविदाकारी राज्य के निवासी ढारा संचालित किसी उद्यम और दूसरे मंविदाकारी राज्य के किसी निवासी ढारा मंचालित कोई उद्यम अभिप्रेत है ;
- (झ) ''राष्ट्रिक'' शब्द से संबंधित संविदाकरी राज्यों की राष्ट्रिकता प्राप्त मभी व्यष्टि तथा सभी विधिक व्यक्ति, भागीदारी और संस्थाएं ग्रभिप्रेत हैं, जो संबंधित संविदाकारी राज्यों मे प्रवृत्त कानुनों मे इस प्रकार की श्रपनी हैसियन रखते हैं ;
- (ञ) ''सक्षम प्राधिकारी'' शब्दों से बांग्लादेश के मामले में ग्रभिप्रेत है----राष्ट्रीय राजस्व बोर्ड ग्रथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि और भारत के मामले में ग्रभिप्रेत है---केन्द्र सरकार का वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) ग्रथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि ;
- (ट) "ग्रन्तरराष्ट्रीय यातायात" णब्दों का स्रभिप्राय किसी ऐसे जलयान ग्रथवा वायुयान द्वारा किसी परिवहन से है, जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा संचालित किया जाता हो, सिवाए इसके कि जब उक्त जलयान ग्रथवा वायु-यान दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित स्थानों के बीच ही चलाया जाता हो ;

2. जहां तक किसी संविदाकारी राज्य ढारा इस ग्रभिसमय को लागू किए जाने के संबंध है, किसी शब्द का, जो इसमें श्रन्यथा परिभाषित नहीं हुन्ना हो, ग्रर्थ विषयगन पाठ के श्रनुसार श्रन्यथा ग्रपेक्षित नही होने पर वही ग्रर्थ होगा जो उस संविदाकारी राज्य के उन करों मे संबंधित कानूनों के प्रयोजनार्थ हों, जिन पर यह श्रभिसमय लागू होता है ।

# ग्रनुच्छेव 4

# निवासी

(1) इस भ्रभिसमध के प्रयोजनों के लिए "किसी संवि-दाकारी राज्य का निवासी" मर्क्सों में भ्रभिप्रेत है --- ऐसा कोई व्यक्ति जिस पर उस राज्य के कानूनों के ग्रध्यवीन उसके श्रधिवास, निवास, प्रबंध स्थान श्रथवा इससे मिलती-जुलती किमी ग्रन्थ कसौटी के कारण कर लगाया जाना भ्रपेक्षित हो।

(2) जहां पैरा (1) के उपबंधों के कारण कोई व्यष्टि दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, तो उसके मामले का निर्धारण निम्नलिखित नियनों के अनुसार किया जाएगा:

- (क) वह उस संविदाकारी राज्य का एक निवासी माना जाएगा, जिसमें उसके पास कोई स्थाई गृह उप-लक्ष्य हो। यदि उसके पास दोनों संविदाकारी राज्यों में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध है, तो वह उम संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और भ्राधिक संबंध घनिष्ठतर है (महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र) ;
- (ख) जिस संविदाकारी राज्य में उसके महश्वपूर्ण हितों का केन्द्र है, यदि उसका निरचय नहीं किया जा सकता हो, प्रथवा यदि उसके पास दोनों में मे किसी भी संविदाकारी राज्य में कोई स्थायो निवास-गृह उपलब्ध नहीं हो, तो वह उस संवि-दाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसमें उसका कोई व्यावहारिक श्रावास हो;
- (ग) यदि उसका कोई ब्यावहारिक श्रावास दोनों संविदाकारी राज्यों में है श्रयवा उनमे से किसी भी राज्य में नहीं है, तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवामी माना जाएगा, जिसका वह राष्ट्रिक है;
- (घ) यदि वह दोनों मंदिदाकारी राज्यों का राष्ट्रिक है ग्रथवा उनमें से किसी का भी राष्ट्रिक नहीं है, तो मंदिवाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी परस्पर सहमति से इस प्रग्न का निर्णय करेंगे।

3. जहां पैराग्राफ (1) के उपबंधों के कारण से, किसी इयफिट से भिन्न कोई ब्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसमें उसकी प्रभावी प्रबंध-व्यवस्था का स्थान स्थित है।

# ग्रनुच्छेद 5

# स्थायी संस्थावन

(1) इस म्रभिसमय के प्रयोजनों के लिए "स्थायी संस्थापन" शब्वों से कारोबार का वह एक निक्चित स्थान अभिन्नेत है, जहां उक्त उद्यम का कारोबाल पूर्णतः श्रयथा श्रंगतः चलाया जाता है। (2) "स्थायी संस्थापन" शब्दों में विशेषतः निम्नलिखित शामिल होंगे :

- (क) प्रबंध का कोई स्थान ;
- (ख) कोई णाखा;
- (ग) कोई कार्यालय;
- (घ) कोई कारखाना;
- (इ.) कोई कर्मशाला;
- (च) कोई भांडागार;
- (छ) कोई खान, कोई खवान अथवा प्राक्वतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई श्रन्य स्थान ;
- (ज) कोई भवन-स्थल ग्रथवा कोई निर्माण ग्रथवा कोई एसेम्बली परियोजना ग्रथवा इससे मिलता-जुलसा कोई संस्थापन, जो 183 दिन से ग्रधिक ग्रवधि के लिए विद्यमान हो।

(3) "स्थायी संस्थापन" शब्दों में निम्नलिखित को शामिल नहीं माना जाएगाः

- (क) उद्यम के माल ग्रयवा वाणिज्य वस्तुग्रों के केवल भंडारण ग्रथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ युविधाग्रों का उपयोग;
- (ख) उद्यम के माल ग्रथवा वाणिज्य वस्तुग्रों के किसी स्टाक के मात मंडरिण ग्रथवा प्रदर्णन के प्रयो-जनार्थ रख-रखाव ;
- (ग) उद्यम के माल अथवा वाणिज्य--वस्तुओं के किसी स्टाक का किसी अन्य उद्यम द्वारा संमाधित किए जाने मात्र के प्रयोजनार्थ रख-रखाव ;
- (घ) उद्यम के लिए माल अथवा वाणिज्य-वस्तुओं का कप करने अथवा उनके बारे में सूचना संगृहील करने के ग्रनन्य प्रयोजनार्थ कारोबार के किसी नियत स्थान का रख-रखाव ;
- (ङ) उद्यम के लिए विज्ञापन देने, सूचना देने, वैज्ञानिक अनुसंधानों अपथा इससे मिलते-जुलते कार्यकलापों के ग्रनस्य प्रयोजनार्थ, जो उस उद्यम के लिए प्रारम्भिक ग्रथवा सहायक किस्म के हों, कारोबार के किसी नियत स्थान का रख-रखाव।

(4) पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधानों के बावजूद जहां कोई व्यक्ति——जो किसी स्वतंत्र हैंसियत के किसी ग्रभि-कर्ता से भिन्न हो, जिस पर पैराग्राफ 5 की व्यवस्थाएं लागू होती हैं——एक संविदाकारी राज्य में दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की ओर से कार्य कर रहा हो, तो ऐसे मामले में उस उद्यम का प्रथमोक्त राज्य में एक म्थायी संस्थापन स्थित होना माना जाएगा, यदि——

(क) वह उद्यम के लिए प्रथवा उसकी ओर में प्रथमोक्त राज्य में मंबिदाएं निष्पन्न करने का एक श्राम प्राधिकार रखना हो तथा व्यावहारिक रूप से ऐसे प्राधिकार का उपयोग करता हो, यदि उसके कार्य-कलाप उस उद्यम के लिए माल अथवा पण्यों के कय तक ही सीमित नहीं हों; श्रथवा

- (ख) वह प्रथमोक्त राज्य में व्यावहारिक रूप से उद्यम के माल ग्रथवा पथ्यों का एक ऐसा स्टाक रखता हो, जिससे वह व्यक्ति उद्यम के लिए ग्रथवा उद्यम की ओर से नियमित रूप से माल ग्रथवा पण्यों की डिलीवरी करता रहता है; ग्रथवा
- (ग) वह प्रथमोक्त राज्य में पूर्ण रूप में ग्रथवा लगभग पूर्ण रूप से स्वयं उद्यम के लिए ग्रथवा ऐमे उद्यम प्रथवा ग्रन्य उद्यमों के लिए व्यावहारिक रूप में ग्रार्डर प्राप्त करता रहता है, जो उसके द्वारा नियंत्रित होते है, ग्रथवा जो उस पर नियंत्रण संबंधी हित रखते हैं।

5. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम का दूसरे संविदाकारी राज्य में मात्न इम कारण से कोई स्थायी संस्था-पन नहीं माना जाएगा कि वह उस दूसरे राज्य में किसी दलाल, सौमान्य कमीशन एजेन्ट प्रथवा स्वतंत्र हैंसियन वाले किसी ग्रन्य एजेन्ट के माध्यम से कारोबार करता है, जहां पर ऐसे व्यक्ति ग्रपने सामान्य कारोबार के ग्रन्तर्गत कार्य कर रहे हों और उनके कार्यकलाप ऊपर पैराग्राफ (4) (ग) के कार्य-क्षेत्र के अंतर्गत नहीं ग्राते हों।

6. इस तथ्य से ही कि कोई कंपनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, किसी ऎसी कम्पनी का नियंत्रण करती है ग्रथवा उसके द्वारा नियंत्रित होती है, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है, प्रथवा जो उस दूसरे राज्य (चाहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से ग्रथवा ग्रन्थथा) मे कारोबार चलाती है, तो उन दोनों कंपनियो में से कोई भी कंपनी स्वतः दूसरी कंपनी का एक स्थायी संस्थापन नही बन जाएगी।

7. किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम का दूसरे संविदाकारी राज्य मे उस स्थिति में कोई स्थायी संस्थापन समझा जाएगा, यदि वह दूसरे सविदाकारी राज्य में ऐमा कारोबार करता हो, जिसमें लोक मनोरंजनकर्त्ताओं (जैसे रंगमंच, चल-चित्र, रेडियो अथवा दूरदर्शन के कलाकार और संगीत-कार) अथवा खिलाडियों की सेवाएं प्रदान करना शामिल हो बशर्ते ऐसी सेवाएं दोनों संविदाकारी राज्यों द्वारा सम्मत सांस्क्रुतिक अथवा खेल-कूद के आदान-प्रदान के कार्यक्रमों के अंतर्शन नहीं आती हों।

#### भ्रध्याय−III

ग्राय का कराधान ग्रनुच्छेद 6 श्रचल सम्पत्ति से ग्राय

(1) ग्रचल सम्पत्ति में ग्राय पर केवल उम संविदाकांगे राज्य में कर लगेगा, जिसमें ऐसी सम्पत्ति स्थित है। (2) "ग्रचल संपत्ति" शब्द की परिभाषा उस संविदा-कारी राज्य के कानूनों तथा प्रथा (जो विधि का बल रखती हो) के ग्रनुसार की जाएगी, जिस राज्य मे विषयगत सम्पत्ति स्थित है। इन शब्दों में किसी भी हालत में ये शामिल होंगे—-ग्रचल सम्पत्ति के उप-साधन के रूप में सम्पत्ति, कृषि में प्रयुक्त पशुधन तथा उपस्कर, वन-सम्पत्ति तथा मत्स्य-पालन, ऐसे ग्रधिकार जिन पर संविदाकारी राज्य के भू-सम्पत्ति संबंधी सामान्य कानूनों के उपबंध लागू होते हों, ग्रचल मम्पत्ति को भोगने के ग्रधिकार, खनिज भंडार, स्रोत तथा ग्रन्य प्राक्वतिक संसाधनों के मंचालन ग्रथवा संचालन-ग्रधिकार के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय ग्रथवा नकद ग्रथवा वस्तु-रूप में नियत ग्रदायगियों के ग्रधिकार, जलयानों तथा वायु-यानों को ग्रचल सम्पत्ति नही माना जाएगा।

(3) पैरायाफ (1) के उपवध अचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग से, किराए पर देने श्रथवा किसी ग्रन्थ प्रकार के उपयोग होने वाली ग्राय पर लागू होंगे।

(4) पैराग्राफ (1) और (3) के उपबंध किसी उद्यम की ग्रचल सम्पत्ति से प्राप्त ग्राय के साथ-माथ स्वतंत व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के लिए इस्तेमाल में लाई गई ग्रचल सम्पत्ति से प्राप्त ग्राय पर भी लाग् होंगे।

## ग्रनुच्छेद ७

# कारोबार से लाभ

(1) किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के किन्हीं लाभों पर केवल उस राज्य में ही कर लगेगा, जब तक वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संम्थापन के माध्यम से कारोबार नहीं चलाता हो । यदि उक्त उद्यम पूर्थोक्त प्रकार से कारोबार करता हो तो उक्त उद्यम के उतने लाभों पर केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगेगा, जितने स्थायी संस्थापन के कारण उत्पन्न हुए हों।

(2) जहां किसी संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूमरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी मंम्थापन के माध्यम में कारोबार करता है, ऐसे मामले में प्रत्येक संविदा-कारी राज्य में उस स्थायी संस्थापन के कारण उसको उन लाभों का उत्पन्न होना माना जाएगा, जिनके प्राप्त होने की तब अपेक्षा रहती, जब वह ममरूप अथवा एक-समान कार्यकलापों में लगा हुग्रा एक निर्दिष्ट तथा अलग होता और जिस उद्यम का वह एक स्थायी संस्थापन है, उसके साथ पूर्णतया स्वतंत्र रूप से ब्यापार करना होना। किसी भी हालत में, जहां किमी स्थायी संस्थापन के कारण उत्पन्न सही-सही लाभों का निर्धारण किया जाना ग्रसंभव हो ग्रयवा उसके निर्धारण में अलाधारण कठिनाइयां उत्पन्न होती हो, तो ऐसे मामले में उन स्थायी संस्थापन के कारण उत्पन्न लाभां का ग्राकलन एक उचित ग्राधार पर किया जाना चाहिए। (3) किसी स्थायी संस्थापन के लाभों के निर्धारण के मामले में व्यय की उन रकमों की कटौतियों की स्वीक्रुति दी जाएगी, जो स्थायी संस्थापन के प्रयोजनों के लिए व्यय की गयी हों और उनमें इस प्रकार किए गए कार्यकारी तथा सामान्य प्रशासनिक व्यय भी शामिल रहेगे, चाहे वे उस राज्य में किए गए हों जहां उक्त स्थायी संस्थाधन स्थित है अथवा प्रत्यत, लेकिन इसमें वे व्यय शामिल नही होंगे जित्हें जिस राज्य में उद्यम स्थित हैं, उस राज्य के कानूनों के व्यनुसार कटीती किये जाने की ग्रनुमनि नहीं दी गयी हो।

(4) जहा किसी संविदाकारी राज्य में, उद्यम के कुल लाभों को उस*े* विभिन्न अंगों के प्रति अनुभाजन के ग्राधार पर, किसी स्थायी मस्थापन के कारण उत्पन्न लाभों को तय करने की कोई प्रथा हो, वहां पैराग्राफ (2) को कोई भी व्याख्या उस संविदाकारी राज्य को ऐसी परम्परागत अनुभाजन पद्धति मे, कराधेय लाभों को तय करने मे नहीं रोहेगी तयापि अनुभाजन पद्धति ऐसी होगी कि उसका परिणाम इस अनुच्छेद में विहिन सिद्धांतों के अनुसार होगा ।

(5) कोई भी लाभ केवल इस कारण से किसी स्थायी संस्थापन को हुए नहीं माने जाएंगे कि उस स्थायी संस्थापन ढारा उद्यम के लिए माल भ्रथवा वाणिज्य वस्तुएं खरीदी गयी हैं।

(6) पूर्ववर्ती पैराग्राकों के प्रयोजनों के लिए, स्थायी संस्थापन के कारण हुए माने जाने वाले लाभों को तब तक उसी पद्धति से वर्षानुवर्य निर्धारित किया जाएगा, जब तक कि उसके विरुद्ध कोई उपयुक्त तथा पर्याप्त कारण नही हों।

(7) जहां लाभो में ग्राय की वे मदें भी शामिल हों, जिनका विवेचन इस अभिसमय के प्रत्य अनुच्छेदों में अलग से किया गया है, ऐसे मामलों में उन अनुच्छेदों के उपबंध इस अनुच्छेद के उपबन्धों से प्रभावित नहीं होंगे।

## म्रनुच्छेद 8

#### वाय्-परिवहन

(1) किमी सविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में विमान-मंचालन से प्राप्त लाभों पर कर उम संविदाकारी राज्य में ही लगेगा।

(2) इसी प्रकार वायु परिवहन में कार्यरत उद्यमों द्वारा किसी भी पूल में भागीदारी में प्राप्त श्राय पर पैरा (1) के प्रावधान भी लागु होंगे।

# শ্বনুম্প্রতির 9

#### जहाजरानी

 (1) एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा दूसरे संविद्याकारी राज्य में श्रन्तर्राष्ट्रीय यातायात में जलयान - संचालन से हुई श्राय पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगेगा, लेकिन उक्त दूसरे राज्य में ऐसी ग्राय पर लगाये जाने वाले कर की राशि को घटाकर, ऐसे कर की 50 प्रतिशत राशि के समतुल्य कर दिया जायेगा।

(2) पैराग्राफ (1) के उपबंध किसी पूल, किसी संयुक्त कारोबार अथवा किसी प्रकार की अन्तर्राष्ट्रीय परिचालन एजेन्सी में भागीदारी से होने वाले लाभों पर भी लागू होंगे।

# अनुच्छेद 10

# सम्बद्ध उद्यम

जहां---

- (क) एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की प्रबंध व्यवस्था, नियंत्रण ग्रथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः ग्रथवा ग्रप्रत्यक्षतः भाग लेता है; ग्रथवा
- (ख) वही व्यक्ति, प्रत्यक्षत. प्रयवा ग्रप्रत्यक्षत: एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की प्रबंध-ब्यवस्था, नियंत्रण प्रथवा पूंजी में भाग लेते है;

और दोनों में से किसी भी ग्रवस्था में, दोनों उद्यमों के बीच उनके वणिज्यिक ग्रथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी गर्ते रखी जाती हैं ग्रथवा लगायी जाती हैं, जो उन गतौं से भिन्न हैं, जैसी स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती हैं, तो ऐसे मामने में ऐसे किन्हीं भी लाभों को, जो उन गतौं के नही होने की हालत में, उन उद्यमों में से किसी एक उद्यम को प्राप्त हुए होने, किन्तु उन गर्तो के कारण प्राप्त नही हुए, उस उद्यम के लाभों में सम्मिलित किया जोएगा और वे तदन्सार कराधेय होंगे।

#### म्रनुच्छेद 11

#### लाभाष

(1) एक संविदाकारी राज्य की निवासी कम्पनी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी का म्रदा किए गए लाभांग उस दूसरे राज्य में कराधेय होंगे।

(2) तथापि, इस प्रकार के लाभांग उस संविदाकारी राज्य में तथा उक्त संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनु-सार भी कराधेय होंगे, जिसकी लाभांग छवा करने वाली कंपनी निवासी है, लेकिन यदि प्राप्तकर्ना लाभांशों का लाभ-भोगी स्वामी है, तो इस प्रकार प्रभारित कर निम्नलिखित से ग्रधिक नहीं होना चाहिए :---

(क) लभागों की सकल राशि का 10 प्रसिशन, यदि लाभभोगी स्वामी एक कम्पनी है जो लाभांश ग्रदा करने बाली कम्पनी की पूंजी में प्रत्यक्षतया कम-से-कम 10 प्रतिशत ग्रेयर रखती है;

# [PART II-SEC. 3(i)]

# (ख) ग्रन्य सभी मामलों में लाभां को सकल राशि का 15 प्रतिशन।

इस पैराग्राफ से कम्पनी के उन लाभों, जिनसे लाभांगों की ग्रदायगी की जाती है, पर कराधान के संबंध में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(3) इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "लाभांगों" सब्द का ग्रभिप्राय, ऐसे ग्रेयरों, खनन ग्रेयरों, संस्थापक के ग्रेयरों प्रथवा ग्रन्य अधिकारो से जो ऋण-दावे नहीं हों, लाभों में सहभागी हों, प्राप्त ग्राय के साध-साथ श्रन्य निगमित अधिकारों से प्राप्त ग्राय से है, जिस पर ग्रेयरों से प्राप्त ग्राय पर उस संविदाकारी राज्य के कानूनों द्वारा लगाए जाने वाले कर के अनुसार ही कर लगाया जाता है, जिसकी वितरण करने वाली कम्पनी एक निवासी है।

(4) पैराग्राफ (1) और (2) के उपबन्ध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि लाभांगों का हितभोगी स्वामी, जो एक संविवाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से ब्यापार करता है, जिसकी लाभांग ग्रदा करने वाली कम्पनी निावसी है ग्रथवा उक्त दूसरे राज्य में स्थित किसी नियत स्थान मे स्वतंत्र व्यक्तिक सेवाएं प्रदान करता है, और जिम सम्पत्ति के बारे में लाभांगों की ग्रदायगी की जाती है, वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापना ग्रथवा नियत स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है। ऐसे मामले में यथास्थिति ग्रनु-च्छेद 7 ग्रथवा ग्रनुच्छेद 15, के उपबंध लाग होगे।

(5) जहां कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ झथवा म्राय प्राप्त करती है, वहां उस कंपनी ढारा घ्रदा किए गए लाभांगों पर, जहां तक कि ऐसे लाभांगों को छोड़कर, जो दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को छवा किए गए हो झथवा जहां तक कि ऐसी सम्पत्ति के बारे में लाभांगों की ग्रदायगी की जाती है, जो उस राज्य में स्थित इस प्रकार के किसी स्थायी संस्थापन ग्रथवा नियत स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है, उस दूसरे राज्य में न तो कोई कर लगाया जाएगा और न ही कम्पनी के ग्रवित-रित लाभों पर अवितरित लाभकर की किस्म का कोई कर लगाया जाएगा, चाहे श्रदा किए गए लाभांश ग्रथवा ग्रवित-रित लाभ पूर्णतः ग्रथवा अंग्रतः उस दूसरे राज्य में उत्पान्न होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में ही हों।

# म्रनुच्छेद 12

#### न्याज

(1) एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले सथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को ग्रदा किए जाने वॉल क्याज पर क्रूमरे गंबिदाकारी राज्य में कर लगेगा। (2) तथापि, इस प्रकार के व्याज पर कर उस संविदाकारी राज्य में और उस राज्य के कानूनों के ग्रनु-सार भी लगेगा, जिस राज्य में यह उद्भूत होता है, किन्सु यदि प्राप्तकर्ता व्याज का हितभोगी स्वामी हो, तो इस प्रकार प्रभारित कर की राशि क्याज की सकल राशि के 10 प्रतिशत से ग्रधिक नहीं होंगी।

- (3) पैराग्राफ (2) के उपबंधों के बावजूद :
- (क) भारत में उद्भूत होने वाले व्याज पर, जो बांग्लादेश की सरकार प्रथवा बांग्लादेश बैक को ग्रदा किया गयाहो, भारतीय कर से छूट होगी;
- (ख) बांग्ला देश में उद्भूत होने वाले क्याज पर, जो भारत सरकार श्रथवा भारतीय रिजर्व बैंक को ग्रदा किया गया हो, बांग्लादेश कर से छूट होगी।

दोनों संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति से ऐसी कोई ग्रन्थ संस्था निर्धारित कर सकते हैं, जिसपर यह पैराग्राफ लागू होगा।

(4) इस अनुच्छेद में यथा -प्रयुक्त " व्याज" सब्द का अभिप्राय ऐसे सभी प्रकार के ऋण-तावों से, चाहे वे बन्धक के रूप में आरक्षित रखे गये हों प्रथवा नहीं और षाहे उसके बारे में कर्जवार के लाभों में भागीदारी का अधिकार प्राप्त हो ग्रयवा नहीं, प्राप्त ग्राय से, और विशेषतः सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त होने वाली ग्राय और वन्ध-पत्नों प्रथवा प्रतिभूतियों से प्राप्त होने वाली ग्राय और वन्ध-पत्नों प्रथवा प्रतिभूतियों से प्राप्त होने वाली ग्राय और वन्ध-पत्नों प्रथवा प्रतिभूतियों से प्राप्त होने वाली प्राय और वन्ध-पत्नों प्रथवा प्रतिभूतियों से प्राप्त होने वाली प्राय और बन्ध-पत्नों प्रथवा प्रतिभूतियों से प्राप्त होने वाली प्राय और बन्ध-पत्नों प्रथवा प्रवों के साथ जुड़े हुए लाभ तथा पुरस्कार से प्राप्त ग्राय भी णामिल है, प्राप्त ग्राय से है, देर से की गयी ग्रदायगी के लिए लगाए गए ग्रर्थ-वन्ड को इस अनुच्छेद के प्रयोज-नार्थ ब्याज के रूप में नहीं माना जाएगा।

(5) पैराग्राफ (1) और (2) के उपबंध इस स्थिति में लागृ नहीं होंगे, यदि ब्याज का हिनभोगी स्वामी एक संविदाकारी राज्य वा निवासी होने के कारण दूसरे संविदा-कारी राज्य में, जिसमें क्याज उत्पन्न हुग्रा हो, उसमें स्थित किमी स्थायी संस्थापन के माध्यम में कारोबार चलाता हो प्रथवा उस दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी नियत स्थान से स्थतंत्र रूप से व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करता हो और जिस ऋग-दावे के बारे में ब्याज ग्रदा किया गया वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन ग्रथवा नियत स्थान से प्रभावी रूप से सम्बन्धित हो। इस प्रकार के मामले में, यथास्थिति ग्रनुच्छेद 7 ग्रथवा ग्रनुच्छेद 15 के उपबंध, लागू होंगे।

(6) किसी संविदाकारी रज्य में उस स्थिति में ब्याज उद्भूत हुग्रा माना जाएगा, यदि क्याज प्रदा करने वाला स्वयं वह संविदाकारी राज्य, उक्त राज्य का कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण ग्रथवा कोई निवासी हो फिन्नु, जहां ब्याज ग्रदा करने वाले व्यक्ति पा, चाहै वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो ग्रथवा नहीं हों, किसी संविदाकारी राज्य में कोई स्थावी संस्थापन है ग्रथवा ऎमा कोई नियन रथान है, जिसके संबंध में वह ऋण लिया गया था और जिस पर क्याज की ग्रदायगी की गयी थी, और इस प्रकार का ब्याज उस स्थायी संस्थापन ग्रथवा नियत स्थान ढारा वहन किया जाता है तब बहु क्याज उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत माना जाएगा, जिसमें उस स्थायी संस्थापन ग्रथवा नियत स्थान स्थित है।

(7) जहां ब्याज ग्रदा करने वाले तथा लाभभोगी स्वामी के बीच प्रथवा उन दोनों में तथा किसी ग्रन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष प्रकार का कोई संबंध होने के कारण, ब्याज की रकम, उस ऋण-दावे को ध्यान मे रखते हुए, जिसके लिए उसकी ग्रदायगी की जानी है, ब्याज की उस रकम से बढ़ जाती है जो ब्याज ग्रदा करने वाले और रकम से बढ़ जाती है जो ब्याज ग्रदा करने वाले और लाभभोगी स्वामी के द्वारा ऐसे संबंध के न होने पर तय की गई होती तो ऐसे मामले में इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अन्तिम-र्वाणत रकन पर लागू होंगे । ऐसे मामले में ग्रदायगियों के ग्रतिरिक्त भाग पर, इस प्रभिसमय के ग्रन्य उपबंधों का उचित ध्यान रखते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के काननों के ग्रन्यार कर लगेगा।

# ग्रन्च्छेद 13

# रायल्टियां

(1) एक संविदाकारी राज्य में उद्भुत होने वाली तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसं, निवासी, को अदा की गई रायस्टियों पर ज्म दुसरे राज्य में कर लगेगा ।

(2) तथापि, ऐसी पारस्टियों पर उस संविदाकारी राज्य में, जिसमें वे उद्भत हेते है और उस संविदाकारी राज्य के कान्नों के प्रनुसार भी कर लगेगा, किन्तु यदि प्राप्तकर्ता रायस्टियों का हिराभोगी स्वामी है तो इस प्रकार लगाया गया कर, रायस्टिंगों की सकल रकम के 10 प्रतिझत से प्रधिक नहीं होगा ।

(3) इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त "रायल्टियां" शब्द से, साहित्यिक, कलात्मक अथवा वैज्ञानिक कृतियो, जिनमें रेडियो अथवा दूरवर्णन से प्रसारण के लिए प्रयुक्त किये जाने वालं। अलचित-पिरूम प्रथवा फिल्में प्रथवा टेपें णामिल हैं, कोई पेटेन्ट ट्रेड मार्क, डिजाइन अथवा माडल, प्लान, गुप्त फार्मूला अथवा प्रत्रिया के प्रयोग करने के लिए अथवा प्रयोगाधिकार के एक प्रतिफल के स्प में अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक फ्रथवा वैज्ञानिक उपरकर के प्रयोग के लिए अथवा प्रयोगाधिकार के लिए अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित सूचना के लिए प्राप्त किया प्रकार का अदायगियां प्रभिन्नेत है, परन्तु इसमे खन्जि भण्डारों, स्रोतो के खनन तथा अन्य नैर्माणक संसाधनों के संबंध में प्राप्त विमं, प्रकार को ग्रदायगियां प्रामिल नहीं है।

(4) पैराग्राफ (1) तथा (2) के उपवंध उस स्थिति में लागू नहीं होगे यदि रायल्टियों का डितभोगं; रवासी, जो एक संविदाकारा राज्य का नियासा है, दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से का रोब।र करता है जिसने रायस्टियां उद्भूत होती हैं या वहां स्थित किसी तिश्चित स्थान से उस दूसरे राज्य में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निप्पादिन करता है और जिस प्रधिकार या सम्पन्ति के संबंध से रायस्टियां धदा की जाती है, वह ऐसे स्थायी संस्थापन या निश्चित स्थान से प्रभावी रूप मे संबंधित है। ऐसे मामले मे घ्रनुच्छेद 7 ध्रथवा घ्रनुच्छेदे 15 के उपबंध, जैसो भो स्थिति हो, लागू होगे ।

(5) रायल्टियां एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुई मानो जाएंगी जब भ्राधा करने वाला स्वयं वह राज्य, उम संविधाकारी, राष्ट्रय का कोई राजनोतिक उप-प्रभाग, कोई स्थानोय प्राधिकरण भ्रथवा उम राज्य का कोई निवासी हो। परन्तु, जहां रायस्टियां भ्रदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसो संविदाकारी राज्य का निवासी हो प्रथवा नहीं हो, किसी संविधाकारों, राज्य में कोई स्थायी संस्थापन भ्रथवा कोई निश्चित स्थान हो, जिसके संबंध मे रायस्टियों की ग्रदायगी का दायित्व उपगत था और ऐसी रायस्टियां ऐसे स्थायी संस्थापन या निश्चित स्थान द्वारा वहन को जाती है तग एसी रायस्टियां उम संविदाकारों राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएंगी जिसमें स्थायी संस्थापन था निश्चित स्थान स्थित है।

(6) जहां झवाकर्ता और हितभोगी स्यामी के बीच अथवा उन दोनो तथा किसी छन्य व्यक्ति के बांच विषोध प्रकार का संबंध होने के कारण, रायल्टियों की रकम, प्रयोग, अधिकार अथवा सूचना को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए वह प्रदा की जाती है, उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके लिए इस प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति में ध्रवाकर्ता तथा हितभोगी स्वामी के ब.च सहमति हुई होता, तो ऐसे मामले में ग्रनुच्छेद के उपबंध केवल ध्रन्तिम-वर्णित रकम पर लागू होंगे । ऐसे मामले के ध्रदार्थायों के ग्रतिरिक्त भाग पर, इस ध्रभिसमय के ग्रन्थ, उपबधो का उचित ध्यान रखने हुए, प्रत्येक संविदाकार्य, राज्य के कानूनों के ग्रनुमार कर लगेगा ।

# श्रनुच्छेद 14

# ণৃর্জানার অभিলাম

(1) पैराग्राफ (3) के उपबंधों के अध्यर्धन रहते हुए, संविदाकारों राज्यों के संबंधिन कर-कानूनों के अंतगर्न यथा परिभाषित किसा पूर्जनगत परिसम्पत्ति को बिकी, वितिमय प्रथवा अन्तरण से उद्भूत होने वाले पूर्जनगत श्रभि-लाभों पर कर केवल उस संविदाकारी राज्य में लगेगा जिसमें ऐसा बिक्रों, विनिभय श्रथवा अन्तरण के समय पूर्जनगत परि-सम्पत्नि स्थित हो ।

(2) इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, किमी कंपनी के झेयरो का स्थिति उस संविदाकारों राज्य में समझी जाएगी जिसमें कि उक्त कंपनी निर्भामत है।

(3) किंगा संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा प्रस्तरराष्ट्रं,य यातायात में परिचालित किसी जलयान भ्रथवा वायुयान के रूप में किसी पूजागत परिसम्पत्ति की बिकी, विनिभय अथवा अन्त्रणा से प्राप्त होने बाला पूंजोगत भ्रभिलाभ केंबल उम संबिदाकारी राज्य में कराधेय होगा।

# श्रन्च्छेद 15

# स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं

(1) एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा ब्यावसायिक सेवाओं भ्रथवा किमी स्वतंत्र स्वरूप के अन्य कार्यकलापो के संबंध में प्राप्त आय केवल उस संविदाकारी राज्य में कराधेथ होगी। परन्तु ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगेगा, यदि:

- (क) उसे अपने कार्यकलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ दूतरे संविदाकारो राज्य में कोई निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध हो, तो उस मामले में, उम दूसरे राज्य में आय की उतनी रकम पर कर लगेगा जो कि उस निश्चित स्थान से उदभूत हुई मार्ना जा सक्तो है: अथवा
- (ख) वह दसरे संविदाकारी राज्य भें, विगत वर्ष में अथवा उन रूनरे संविदाकारी राज्य के संबंधित ग्राय-वर्ष से कुल 120 दिन की क्रवधि भ्रथवा ग्रवधियों के लिए मौजूदा रहा हो ।

(2) "ध्यावसायिक सेवाएं" पद में विषोष प्ररूप में स्वतंत वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षिक ग्रथवा अध्यापन संबंधी कार्यकलाप क्षया चिकित्सकों, शल्य-चिकित्सकों, वकीलों, इन्जीनियरों, वास्तुविदों, दन्त-चिवित्मको नथा लेखापालों के स्वतन्न कार्यकलाप शामिल है।

# श्रन्च्छेद 16

# पराश्रित वैयक्तिक सेवाएं

(1) अनुच्छेद 17, 19 तथा 20 के उग्बंधों हे अध्य-धीन रहते हुए, एक सविदाकारी राज्य के किनी तिवासी ढारा किसी नियोजन के मेंबंध में प्राप्त बेतन, मजदुरी तथा इसी प्रकार के दूसरे पारिश्रमिक पर तब तक केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगेगा जब तक कि उक्त नियोजन दूसरे सविदाकारी राज्य में नहीं किया जाता है। यदि इस प्रकार नियोजन कि ग जाता है तो ऐसे पारिश्रमिक पर, जो उससे प्राप्त होता है, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगेगा।

(2) पैणग्राफ (1) के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे मंत्रिराकारी राज्य में किए थए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारि-श्रमिक पर केवल प्रथमोलितखित राज्य में ही कर लगेगी, यदि

(क) वह उस दूसरे संविदाकारी राज्य में "विगत वर्ष" प्रथवा संबंधित "ग्राय वर्ष" के दौरान कुल 183 दिनों से ग्रनधिक की ग्रवधि ग्रथवा ग्रवधियों के लिए मौजूद रहा हो ग्रथवा वह उस दूसरे संदि-दाकारी राज्य में किसी ऐसी ग्रवधि के लिए मौजूद रहा हो जो कि, उम सम्पूर्ण ग्रवधि के दौरान जिसमें वह उस दूसरे संविदाकारी राज्य में मौजूद रहा है, 183 दिनों से प्रधिक की लगातार ग्रयधि का एक भाग है; तथा

- (ख) पारिश्रमिक की भ्रदायगी किसी ऐसे नियोजक द्वारा भ्रयवा उसकी म्रोर से की जाती है जो उस दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी नहीं है; तथा
- (ग) किसी स्थायी संस्थापन के श्रभिलाभों में से, जिन पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर उद्ग्र-हणीय होता है, पारिश्रमिक की कटौती महीं की जाती है।

(3) इस अनुच्छेद के पैराप्राफ (1) तथा (2) के उपबंधों के रहते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम ढारा अन्तरराष्ट्रीय यातायाल में परिचालित किमी जलयान ग्रथवा वायुयान में निष्पादित वैयक्तिक सेवाओं के लिए प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगेगा।

## ग्रमुच्छेद 17

# निदेशक की फीम

एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी ऐसी कम्पनी के, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की एक निवासी है, निदेशक-मण्डल के एक सदस्य की हैसियत से प्राप्त निदे-शक की फीम तथा उसमें मिलनी-जुलती किस्म की ग्रदाय-गियों पर कर केवल उस दुसरे संविदाकारी राज्य में लगेगा।

# দ্মনুভক্তৰ 18

# मनोरंजनकर्ता तथा खिलाड़ी

(1) अनुच्छेदे 15 तथा 16 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के भिसी निवासी ढारा मनो-रंजनकर्ता, जसे कि किसी थियेटर, चलचित्र, रेडियो या दूर-दर्शन कलाकार या संगीतकार प्राथवा एक खिलाड़ी के रूप में दमरे संविदाकारी राज्य मे किये गये इस प्रकार के अपने वैयक्तिक कार्यकलापों में प्राप्त ग्राय पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर, लगेगा।

(2) जहा किसी मनोरंजनकर्ता प्रथवा किसी खिलाड़ी द्वाना ग्रान्नों इस प्रकार की हैसियत से किये गये वैयक्तिक कार्यकलापों के संबंध में प्राप्त ग्राय स्वयं मनोरंजनकर्त्ता या खिलाड़ी को प्राप्त नहीं होतों हो ग्रपितु किसी ग्रान्य व्यक्ति को प्राप्न होती हो, ऐसे मामले में उस ग्राय पर, ग्रनुच्ठेष 7, 15 तथा 16 के उन्बंधों के होते हुए भी उम संविदाकारी राज्य में कर लगेगा जिसमें उक्त मनोरजनकर्त्ता ग्रथवा खिलाड़ी के कार्यकलाफ किये जाते है। -----(3) मनोरंगावनी २४४ : खिलाडियो ढाग एक संविदाकारी राज्य में लिपादित कार्यकलापों में प्रति पार्टि-श्रमिक प्रथत लामो, केन, मजदुरी तथा इसी प्रकार का ग्राय पर पैराप्र(क (1) राघा (2) के उत्पन्न तान रही। होंने यदि उनके द्वारा उस राज्य के किए गए दौरे के खर्च को दुसरे संविदाकारी राज्य की लोक निधियो, जिनमे उसके किसी राजनैतिक उप-रभाग कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा सांबिधिक निकाय की लोक निधिया भी णामिल है, में पर्याप्त रूप से पूरा किया जाता है और न ही ये उपबंध ऐसे कार्य-कलापों के सबंध में लाभ नहीं कमाने वाले किसी संगठन द्वारा प्राप्त ग्राय पर लाग होंगे कणर्ते इसकी ग्राय का कोई भाग इसके मालिकों, सदल्यो ग्रथवा जेयर-धारको को न तो सदेय हो ग्रथवा व्यक्तितन लाभ के लिए ग्रन्थथा उपलब्ध हो ।

# ग्रनुच्छेद 19

# गैर-सरकारी पेंजन

(1) एक संविदाकारी राज्य के भीतर स्रोतों में किसी एसे व्यक्टि जो दूसरे संविदाकारी राज्य का निवानी है, डारा प्राप्त कोई पैंशन, जो उस पेशन में भिन्न हो, जिस पर अन्-इन्छेद 20 का पराग्राफ (1) लागू होता है, तथा वार्षिको पर कर फेवल प्रथमोल्लिखित संविद्धावारी राज्य में लगेरे।

(2) ग्रनुच्छेद 20 में तथा इम ग्रनुच्छेद में प्रथाप्रयुक्त "पेंणन" घट्ट से, की गई सेवाधों के लिए प्रतिफल के रूप में की गई ग्रावधिक अपायनिया प्रथदा सेवाओं के दौरात लगी चोटों के लिए मुग्रावजे के तौर पर की गई ग्रावधिक ग्रदायगिया ग्रभिप्रेत है।

(3) पेराग्राफ (1) मे यथाप्रयुक्त "वार्षिकी" जब्द मे, जीवनकाल मे ग्रथवा किमी त्रिनिर्दिण्ट या निञ्चेय समयावधि के दौरान धनगाजि ग्रथवा उसके बरावर मल्प में पर्याप्त तथा पूर्ण प्रतिफल की ग्रदायगी करने के डकगर के ग्रंतर्गत ग्रावधिक रूप मे निज्चित समय पर ग्रदायगी-योग्य एक निण्चित राणि ग्रभिषेठ है।

धन,चछेद ३०

# सरकारी गारिश्रमिक तथा पेणन

(1) किसी संविद्धारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उत-प्रभाग अथवा उसके किसी स्थानीय प्राधिकारण ढारा अथवा उसकी निधियों में किसी व्यक्टिको, जो उन संविद्धावारी राज्य का नालरिक है, उस संविद्धकारी राज्य श्रधवा उसके जिसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा उसके किसी स्थानीय प्राधिकारण में किसी सरकारी स्ट्रार के कार्यों के निष्पादन में की गई सेवाओं के संबंध में, प्रदत्त पारिश्वन्तिक पर, जिसमें पेणन की णामिल है, केवल उस राज्य में कर लगेगा। 2271 GT/92-2 (2) दोनों संविदाकारी राज्यों में मे किसी भी संविदाकारी राज्य की सरकार प्रयवा उसके किसी राजनैतिक उपप्रभाग अपना उसके किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा लाम के अयोजन-,ार्थ किये गये किसी व्यापार के सिलमिले में की मई-सेवाओं के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक तथा पेंगन पर पेराग्राफ (1). के उपबंध लागू नहीं होंगे।

(3) इस अनुच्छेद के पैरागत्फ (1) के उन्हेंन्न भारतीय रिजव बैंक तथा बांगलादेश बैंक ज्ञारा प्रदस पारिश्वमिक पर ' भी, जिसमे पेंशन भी शामिल है, लागु होंगे।

# श्रनुच्छेद 21

# विद्यार्थी, प्रशिक्षणार्थी तथा प्रशिक्ष्

- (क) दूसरे संविधकारी राज्य में किनी मान्यताप्राप्त विण्वविद्यालय महाविद्यालय, विद्यालय श्र**यवा** श्रन्य शैक्षणिक संस्था में एक विद्यार्थी के रूप में; ग्रथवा
- (ग) प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य के किसी उपम के किसी स्थायी संस्थापने में भिन्न किसी संगठन में एक व्यवसायी अथवा तकनीकी प्रशिक्ष के रूप में; प्रथया
- (ग) तिः पी धार्मिकः, धर्मार्थं, वेज्ञानिक ग्रयवा गैक्षणिक संगठन से ग्रध्ययन ग्रयेवा ग्रनुसंधान के मूल प्रयोजन के लिए किंसी ग्रनुवान, भक्ता मयवा पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में

मीजूद रहा हो, उमे जुस दूसरे संविदाकारी राज्य में निम्त-लिखित के संबंध में कर से छूट प्राप्त होगी---

- (1) खूट की अधिवानम पांच वर्षों की अवधि के लिए, उसके भरण-पांषण, शिक्षा, प्रध्ययन, अनुसंधान अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए विदेशों में प्राप्त रकसों पर;
- (2) अनुदान भना अथना पुरस्कार; तया
- (3) उस दूसरे संविदाकारी राज्य में 'विगत वर्ष'' ग्रयवा ''ग्राय वर्ष'' जेंसी भी स्थिति हो, के दौरान किर्शा नियोजन के लिए पारिश्रमिक के रूप में प्रतिवर्ष 15,000/~ रुपए में अनधिक की कोई ए शि ग्रथवा, बांग्लादेश की मुद्रा में उसके सममुल्य रक्तम पर, यदि ऐसा नियोजन उसके ग्रध्यग्रन अथवा, उसके प्रशिक्षग में संबद्ध हो ग्रथवा यदि 'उसके भरण-पोषण के लिए यह ग्रावश्यदा हो।

 (2) कोई व्यप्टि, जो एक संविदाकारी राज्य का निवामी है और दूसरे संविधाकारी राज्य में, प्रथमोल्लिखिन संविदाकारी राज्य के निक्षी उद्यम अथवा पैराग्राफ (1) के उप-पैराग्राफ (ग) में उल्लिखित किसी संगठन के एक कर्मचारी के रूप

----

में प्रयवा कररार के प्रधीन, एक वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए ऐंगे उद्यम अथवा संगठन से भिन्न किसी व्यक्ति से मान्न तकनीकी, व्यावसायिक अथवा व्यापार मंबंधी अनुभव अर्जित करने के लिए अस्थायी तौर से मौजूद रहना है नो उपे. ऐंसी अवधि के लिए अपनीं सेवाओं के लिए, जो इस अकार के अन्भव को प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्षतः संवद्ध है, प्राप्त पारिधमिक पर उसे दूसरे संविदाकारी राज्य में उत्तनी रवन्न नव कर से छूट प्राप्त होगी ताकि ऐंसे पारिध-पिक की नकम "विगनवर्ष" अथवा "आय वर्ष" जैसी भी स्थित्ति हो, के दौरान प्रतिवर्ष 12,000 रुपए की रक्षम अथवा बांग्लादेश की मुद्रा में इसके समयुष्ट्य रक्षम से अधिक नहीं हो।

(3) कोई व्यष्टि, जो एक मंबिदाकारी राज्य का निवासी है और दूसरे मंबिदाकारी राज्य में, उस दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार प्रथवा उसकी किसी एजेंसी के साथ हुई प्रबंध-व्यवस्था के अंतर्गत मात्र प्रशिक्षण, ग्रध्ययन ग्रथवा नवा-भिमुखीकरण के प्रयोजनार्थ ग्रस्थाई तौर से मौजूद रहा हो तो उसे उस दूसरे संविदावारी राज्य में ऐसे प्रशिक्षण, ग्रध्ययन ग्रथवा नवाभिमुखीकरण के कारण उसके द्वारा प्राप्त पारिश्र-मिक के संबंध में कर से छूट प्राप्त होगी।

# ग्रनुच्छेद 22

# प्राध्यापक, ग्रध्यापक तथा शोधित

(1) फिसी प्राध्यापक प्रथवा किसी अध्यापक को, जो किसी संविदाकारी राज्य के किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय प्रथवा उस संविदाकारी राज्य की अन्य मान्यता प्राप्त संस्था में अध्यापत-कार्य के प्रथवा गोध-कार्य के प्रयोज-नार्थ प्रथवा दोनों के लिए, एक संविदाकारी राज्य को दौरा करता है तथा ऐसे दौरे के तत्काल पहले वह दूसरे संविदाकारी राज्य का एक निवासी है प्रथवा था, उसके उस संविदाकारी राज्य का एक निवासी है प्रथवा था, उसके उस संविदाकारी राज्य में ध्रार्गमन की मारीख से दो वर्षों से अनधिक की ध्रवधि के लिए ऐसे ब्रार्थ्यापत-कार्य प्रथवा गोध-कार्य के लिए प्राप्त किसी प्रकार के पारिश्वमिक पर प्रथमोल्जिखित सविदा-कारी राज्य में कर से छुट प्राप्त होगी।

(2) यह म्रनुच्छेद उस गोध-कार्य से प्रःप्त ग्राय पर लागू नहीं होना यदि ऐसा गोध-कार्य मूलतः किसी व्यक्ति विशेष म्रथवा व्यक्तियों के निजी लाभ के लिए किंया जाता हो।

(3) इस अनुध्छेद तथा प्रनुच्छेद 21 के प्रयोजनार्थ विःसी क्यंष्टि नो एक संविदाकारी राज्य का निवासी उस स्थिति में समझा जाग्गा यदि वह "विगत वर्य प्रथवा "प्राय वर्ष" जिस में बह दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करता है ग्रथवा नर्काल पूववर्ती "विगत वर्ष" अथवा "ग्राय वर्ष" में, जैसी भी स्थिति हो, उस संविदाकारी राज्य को निरासी रहा हो।
(4) पैंग्ग्याफ (1) के प्रयोजनार्थ "सान्यता प्राप्त संस्था" में ऐसी संख्या ग्रीजनार्थ है जिसे इस सिलसिले में संबंधित संविदान्धरी राज्य की सिंधति हो। त्र प्रथा ग्रीजनार्थ "सान्यता प्राप्त संख्या" में ऐसी संख्या ग्रीफ्रोत है जिसे इस सिलसिले में संबंधित संविदान्धरी राज्य के सक्षम प्राधिकारी ढारा प्रनुमोदित विध्या गया है।

# प्रनुच्छेर 23

सरतार की तथा संस्थाओं को याप

(1) मनिया प्राणी राज्यों में में हिमी एक लविदा हारी राज्य को मरकार का, ऐसी लरकार हारा उम दूउरे संविशकारी राज्य में प्राप्त कि से प्रकार को आज के सबंध में दूसरे सविदा हारी राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी।

(2) इस भ्रतुच्छेद ें पैराग्राफ (1) रिप्रयोजनार्भ "सरकार" पद से---

(क) भारत के मानते में, भारा प्रकार अधिित है और उपने निम्नलिखिा णामित होंगेः --

(1) राज्य सरकारे तथा भारतीय सवराग्ध क्षेत्र;

- (2) भारतीय रिजर्भ बैंक,
- (3) ऐमी कोई संग्या अथवा तिकाम फिलांग लिए दो संत्रिदाकारी राज्या त कोच करकरन्मनज पर महमति हुई हो।

(ख) बाग्लादेश के मामने में, बाग्लादेश लोकगणराज्य को सरफार प्राप्तिन है और उसे लिम्हतिति णॉमित होंगे:——

- (1) बांग्लादेश बैंक--
- (2) कोई ऐसी संस्था ग्रथता निकाय जिनके लिए दो संविदाकारी राज्यों के बीच समय-समय पर सहमति हुई हो।

य1्च्छेद 2∔

आय जिमके बारे में साक्टतवा उन्लेख नहीं किया गया है

प्रत्येक सविदाकारी राज्य में प्रवृत्त कानूनों क अन्तर्गत संबंधित संविदाकारी राज्यों की श्राय पर कर लगाया जाता रहेगा, सिवाय उपरेजिहा इस ब्रक्षिसमय में इसके प्रतिकत स्पन्ट उपबंध बनाया गया हो।

# ग्रध्माप 4

दोहरे करावान हे अपाहरण का तरीका

# न्नन्छेद 25

दोहरे याराधान का अना हरण

(1) भारत रें किशी लिकारी ले समाने में दोहरे कराधान का ग्रपाकरण निम्नप्रकार में किया जाएगाः

भारत मे शिल्न किसी ग्रांथ देश में संदेय कर को भारतीय कर के प्रति लाभ के रूप में छठ देने संबंधी भारतीय कर कानूनों के उपवन्धों के ग्रध्यधीन (जो इसके मामान्य सिद्धान्त को प्रधावित नही करेंगे), बांग्वादेग रे कानूनों रे ग्रावर्गा रथा तत प्रतिहत से पनुतार संदेय बाग्वादेग कर (जित्तनात्मार्ग के मामने में ऐने लाभों के संबंध में संदेय कर गामिन नही होगा जिन्मे से लाभाष अथा किया भारत है), याग्लाइक स उगाल्य स्रोता ने प्राप्त प्राप्त है । तथ स स.हे प्राप्त गा स आगा पटोतो का? जित्य गया है, ऐसी आय क सबय मे रादेय भारतीय कर के प्रति केडिट क रूप मे अनुभाव होगा। नगापि, केडिट की यह राहम भारतीय कर कडा प्रमुपात से प्रयिक नहीं होगों जा कि वाग्तादेश में उग्तब्ध स्रोतों से प्राप्त आग पर भारताय का ज प्राध्यक्षीन समस्त आय पर लगता हो

बशर्ते कि ऐस केडिट गी रुरुम उस भारतीय कर (इस प्रकार के केडिट की यनुमति दिये जाने से पूर्व यथा-सगणित) से प्रधिक नहीं होगी जो बाग्लावेश में उपलब्ध स्रोतों से प्राप्त ग्राय के लिए सगुचित है, तथापि यह कि जहां ऐसा निवासी कोई कपनी है जिसके द्वारा भारत में प्रतिकर सदेय है, ऐसे मामले में उपर्युक्त कोडिट, कपनी द्वारा जारत सदेय प्रतिकर की सेप रुरुम पर, रदि कोई हो, प्रथम वार ग्रनमन्य होगा ।

(2) पैरायक्त (1) के प्रयोजनार्थ ''सदेय बाग्लादेग-कर'' पद में बाग्लादेश-कर की वह रक्स भी शासित की गई मानी जाएगी जो, वाग्लादेश के कातूना के निम्तलिखित उपबधा के प्रनुसार यदि बाग्लादेश कर की छूट नहीं दी गई हो प्रयभा उसका कम नहीं किया गया हा, सदय दर्नी होनी

- (क) आयकर अध्यादेश, 1981 वी धारा 29(1) का ग्रन्ड (X), धारा 45 तभा जा चिन,
- (ख) ग्रायकर अध्यादेश, 1984 को तृर्वाय अनुस्ची का पैराग्राफ 7,
- (ग) ग्राप्रकर श्रध्यादेग, 1984 की छठी श्रनुसूचो के माग बी के पैराग्राफ 10,11,12,13,15 तथा 22,
- (घ) दिनाक 29 नगम्बर 1976 की ग्रायसूबना सच्या एम ग्रार और 417ए-एग. 76 के पैरायाफ (सी) (ई), (एफ), (जी) तथा (एच), तथा उक्त प्रतिक्षत्रना ह पैरायाफ (ए), (बा) तथा (डी), जहा तह उनका संबध बांग्यादेश में धार्थिक त्रिकास का बढाया दने के उद्देश्य में दिए गए, श्रहणों का छट्ट ग्रयवा राहत देने का है, जुडा तह वे इस यभिषमय पर हर तालर किये जाने का तारीख का प्रबृत्त थे तथा तब म उन्हें मंगोधित नहीं किया गया ह अथ पा उनमें केतन मानूलो-मा संशाधन किया गया ह नाफि उयके सामान्य स्त्ररूप पर काई प्रभाव न पहे, ग्रथवा
- (ड) किसी अन्य उपवत्र के अतर्गत जिस कर से छूट प्रदान करने अवत्रा उनमें कटौनी करने के लिए बाद में बनाया जाए, जिसके लिए सविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों में सहमति होती है जोर जा काफा हद तक उसो प्रकार के स्वरूप का हा, यदि इंग उसके पश्वातु संशोधित नहीं किया

गया हो अथवा उसमे मामूली-सा सणोधन किया गया हो ताकि इमने उसके सामान्य स्वरूप पर कोई प्रभाव नही पडता हो,

लेकिन, गर्त यह है कि इस पैराग्राफ में उल्लिखित कर की रकम निम्नलिखित में ग्रधिक नहीं हो -

- (क) लाभाशों के मामले मे, अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 2(क) में उल्तिखित लानाशों के मामले में ऐसे लाभाशों की सकल राशि के 10 प्रतिशत के बराबर की रकम, तथा अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 2(ख) में उल्लिखित लानाशों के मामले मे, लाभागों की सकल रकम का 15 प्रतिशत,
- (ख) ब्याज के मामले मे, ऐसे ब्याज की सकल रकम के 10 प्रतिशत के दराबर की रकम, तथा
- (ग) रायल्टिया के मामने में, ऐसी रायल्टियों की सकल रक्तम के 10 प्रतिशत के बनाबर की रक्तम ।

(3) वाग्लाइंग के किसी निवासी के मामने में दोहरे कराधान का ग्रापाकरण निम्नानुमार किया जाएगा

बाग्लाइण म भिन्न किमी अन्य देण में सदेय कर को बाग्नादेण कर के प्रति क्रेडिट के रूप में छूट देने सबधी बाग्लादेश के कानूनों के उपवधा के अध्यधीन (जा इसके सामान्य सिद्धात का प्रभावित नहीं करेगे) भारतीय कानूना के अनर्गन तथा इस प्रभिसमय के प्रनुसार सडल भारतीय कर (जिसमे लाभाग के मामले में ऐस लाभा के सबध में सदेय कर (जिसमे लाभाग के मामले में ऐस लाभा के सबध में सदेय कर णामित नहीं होगा जिसमें में लाभाग अदा किया जाता है)। भारत में उपलब्ध मोतों से प्राप्त आय के सबध में बाग्तादेग के किसी नियामी हारा चाहे प्रत्यक्ष रूप से अवधा कटोती करके जिस पर भारत तथा याग्तदंग दानों में कर लगाया गया ह, ऐसा आध के संबंध में स्वेय जाग्तादेश-कर के प्रति केडिट के रूप में अनुमत्य हागा परन्तु वह रकम वांग्लादेश-कर के उस अनुपात से अधिक नहीं हा जा कि बाग्लादेश-कर पर प्रभार्य समम्त आय पर लगना है।

(4) इस प्रतुच्छेद के पैराग्राफ (3) के प्रयोजनार्थ "सदय भारतीय कर" में ऐसी कोई रकम शामिल की गई समझी जाएगी जा किसी भी वर्ष के लिए भारतीय कर के रूप में सदय हो गई होती परन्तु उस वर्ष श्रथवा उसके किसी भाग के लिए निम्तानुसार कर ने दो गई छूट अथवा उसमें की गई कटार्ता के कारण ऐसा नहों हुआ .

- (क) लिम्लाला-वित उपब गो पे से तोई भा उपब थ, अर्थात् आयकर आहितियम, 1961 का धारा 10(4), 10(4क), 10(6) VIII (क), 10(15)(4), 10क, 32क, 33क, 35ग, 35गग, 54ड, 80गग, 80जज, 80जजक, 80क्क, 80ट्टा, 80ट, 80ट, अथवा
- (ख) किसी अन्य उपबंध के अतर्गन जिन कर से छूट प्रदान कल्के अथवा उसमें कटौती करन के लिए

[PARI II—SEC. 3(i)]

बाद में बनाया जाए जिसके लिए संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों में सहमति होती है और जो काफी हद तक उमी प्रकार के स्वरूप का हो, यदि इसे उसके पश्चात् संगोधित नहीं किया गया हो ग्रथवा उसमें मामूली-मा संशोधन किया गया हो ताकि इसमे उमके सामान्य स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो।

लेकिन, सर्त यह है कि इस पैराग्राफ में जल्लिखित कर की रकम निम्नलिखित से श्रधिक नहीं हो :

- (क) लाभांगों के माम'ते में, प्रनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 2(क) में उल्लिखिन लाभागों के मामले में ऐसे लाभांगों की सकल रकम के 10 प्रतिगत के बराबर रकम तथा ग्रनुच्छेद 11 के पैराग्राफ2 (ख) में उल्लिखित लाभांगों के मामले में लाभांगों की सकल रकम का 15 प्रतिगत;
  - (खा) ब्याज के मामले में, ऐसे ब्याज की सकल रकम के 10 प्रतिशत के बराबर की रकम; तथा
  - (ग) रायल्टियों के मामले में, ऐसी रायल्टियों की सकल रकम के 10 प्रतिशत के बराबर की रकम ।

त्रध्याय ∨ विशेष उपबंध अनुच्छेद 26 सम-व्यवहार

(1) एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिका पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई कराधान लागू नहीं होगा प्रथवा तत्मंबंधी ऐसी कोई प्राक्षा लागू नहीं होगी, जो उस कराधान से और उनसे संबंधित प्रवेक्षाओं में निम्न प्रथवा अपेक्षाकृत अधिक भारपूर्ण हो, जो दूसरे राज्य के राष्ट्रिको पर एक-समान परिस्थितियों तथा एक-समान गर्तों में लाग होती हैं अथवा हो मकती हूं।

(2) एक मंबिदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में किसी स्थायो संस्थापन पर, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई कराधान लागू नहीं किया जाएगा, जो उस दूसरे संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर एक-समान परिस्थितियों में तथा एक-समान अत्रों के अधोन समरूप कार्यकलापों को करने के लिए लागू होने वाते कराधान में अपेक्षाकृत कम अनुकूल हो।

(3) एक संविदाकारी राज्य रे उद्यमों पर, जिनकी पूंजी पूर्णसः ग्रथवा अंशतः दूसरे संविदाकारी राज्य के एक ग्रथवा एक से अधिक निवासियों के प्रत्यक्ष अथया अप्रत्यक्ष स्वामित्व में ग्रथवा नियंत्रण में है. प्रथमोक्त संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई कराधान ग्रयवा नत्यंबंधी कोई भी भूपेक्षा लागू नहीं की जाएगी, जो उम कराधान में अथवा तत्संबंधी किन्हों भी ग्रपेक्षाओं से भिन्न ग्रथवा अपंक्षाइत ब्रधिक भारपूर्ण हो, जो प्रथमोल्लिखित राज्य के ग्रन्थ समरूप उद्यमो पर एक-समान परिस्थितियों और एक-समान शर्तों के अधीन लगाई जासी हे ग्रथवा लगाई जा सकती है।

(4) इस अनुच्छेद क पंराग्राक (1), (2) तथा (3) में निहित किसी भी द्वात का ध्राणय निम्नानुसार नही लगाया जावेगा —

- (क) एक संविदाकारी राज्य का दूसरे संविदाकारी राज्य के नियासियों को कोई ऐसी व्यक्तिगत छूटें, राहते तथा घटोतिया मजूर करने के लिए बाध्य करना, जिन्हें वह अपने स्वयं के निवासियो को मंजर करना है:
- (म्ब) ऐसे यनिवासी व्यक्तियों पर कर लगाने के संबंध में संबंधित संविदाकारी राज्यों के कर कानूनों के किन्ही उन्त्रंधों को प्रभावित करना;
- (ग) विनिर्दिष्ट णतों को पूरा करने वाले व्यक्तियों को कोई कर रियापनें मंजूर करने हे संबंध में संबंधित सविदाकारी राज्यों के कर कानूनों के किन्ही उसक्यों को प्रभावित करना।
- (5) इस अनुच्छेद में ''कराधान'' कब्द का अर्थ उन करों में है जो इस अभिसमय के विषय हैं।

# प्रतृच्छेर 27

# पारस्पारेक करार कार्यजीव

(1) जहा एक भविद्याकारो राज्य का काई तिवासो यह समझता है कि एक अथवा दोनों संविद्याकारो राज्यों की कार्यवादियों के कारण उस पर इस प्रकार कर लगाया जाता है अथवा लगाया जा गा जा इस प्रतिसमय के अनुकूत नहां है, तो वह, उन संविद्याकारी राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों ढास उपवंचित उभायों के होते हु?. को उन प्रतिसकारी राज्य क सक्षम प्राधिकारी को अपना मामना प्रस्तुत कर सकता है जिनका कि वह एक निवासी है। यह ममना कर-निर्धारण को तार्राख में अथवा स्रोत पर कर को राहने को तार्राख से, जो भो बाद में हो, तोन वर्ष की जनवि के सानर प्रस्तुन किया जाना चाहिए।

(2) यदि सक्षम प्राधिकाना का आतंदी उचित लगे और यदि वह स्वय कियो समुचित हत तर पहुतने में प्रमर्भक हो तो वह ऐसे करधान के निवारण का दक्षि से, जा इस प्रभिनमय के अनुरूप नहीं है, ट्रारे राजिशकारी राज्य क सक्षम प्राधिकारी के साथ परस्पर सहमति ने उस मामले को हत करने का प्राप्त करेगा। किए गए किनी भी समझौत को कार्यान्विन किया जाएगा चाहे सविदाकारी राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों में कोई भा समय-भोमा क्यों न हो।

(3) यदि इस अभिममध कः व्याख्या करने में अथवा इसे लागू करने में कोई कठिनाइया अपना शकाएं उत्पन्न हो, तो संविदाकारी राज्यों प सक्षम प्राधितानों उन्हें पारस्परिक

12

गहसति से हल करने के प्रधान करेगे। वे उन मामलों में भी दोहरे कराधान के त्या का के दिए परस्पर विचार-विमर्श कर सकते हे जिनकी इस धरिस्या में व्यवस्था नहीं को गई हो।

\_\_\_\_\_

(4) इस अभिसः स्वार्था को लागू करने , प्रयो-जनार्थ सविदाकारी राज्या के सक्षम प्राधिकारी एफ-दूसरे वे साथ सीधे पत्र-व्यव पर भर पर पकते हैं। जहा, समझौता करने की दुष्टि से विपासे का महेविक आदान-प्रदान किया जाना उपयुक्त समझा जाता हो तो विचारों का ऐसा यादान-प्रदान एक सायोग र माध्यम में किया जा सकता है जिपमें सविदाकारी राज्या ह सक्षम पाधिकारियों र प्रतिनिधि शामिल होगे।

#### चत्त्र्छेद 28

# सूचना का ग्रादान-प्रदान

(1) संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारों ऐसी सूचना का यादान-प्रदान करेंगे, जा इस अभिममय के उपबधा का लागू करने प्रथवा करों के प्रायचन की रोके-थाम करने व्यथा उसका पता लगान प्रस्ता उनके परिहार के लिए यावस्थक है, जो कि इस अभिसमय के विचय है। इस प्रकार प्रावान-प्रदान की गई किसी भी सूचना को गुप्त समझा जाएगा परन्तु वह केवल ऐसे व्यक्तियों (जिसमें न्यायालय यथवा प्रशासनिक निकाय भी शामिल है), को प्रकट की जाएगी जो उन करो का निर्धारण, वसूली, प्रवर्तन करने प्रथवा प्रशियोजन की कार्यावाही से संबंधित हैं, जो इस प्रभियमय के विषय है, अथवा ऐसे भ्यक्तियों को प्रकट की जाएगी जिनमे वह सुचना संबधित है।

(2) सूचना का स्रादान-प्रदान या तो नेमो स्राधार पर स्रथवा मामलो-विशेप के संदर्भ में अनुरोध किए जाने पर स्रथवा दोनों स्थितियों में किया जा सकेंगा । संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी, समय-समय पर ऐसी सूचना को सूची मे सहमत होगे जिसे नेमी श्राधार पर प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) किसी भी स्थिति में, पैराग्राफ (1) के उपबंधों का ग्रंथ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्मलिखित दायित्व डालना नहीं होगा.

- (क) उस अथवा दूमरे सविदाकारी राज्य के कानूनो अथवा प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना; ';
- (ख) फेमी सूचना की सप्लाई करना जो उस अथवा दूमरे सं कारी राज्य के कानूनो के अंतर्गत प्रथ , प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है;
- (ग) ऐसी सूचना को सप्लाई करना जिससे किसी व्यापारिक, व्यावसायिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक ग्रथवा रोजगार संबंधी गुप्त भेद श्रथवा व्यापारिक प्रक्रिया प्रथवा सुचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सरकार की नीति के प्रतिकृल है।

# यनुच्छेद 29 वसूनों में महारत

(1) दो सविदाकारी राज्य एँ म करा की वसूली करने में एक-दूसरे की सहायता करने और उसे समर्थन देने का जिस्मा लेते हैं जितने यह प्रभिसमय सर्वावत है और यहा ये कर अनुरोध करने वाले सविदाकारी राज्य के जानूनो के प्रनुसार निषिचा रूप से संदेप होते है।

(2) दोनों संविदाकारी राज्यां में से किसी भी गविदाकारी राज्य के कर गुत्रधो दात्रा का वणूलो करने के लिए जिन्हें यन्तिस रूप से निर्धारित किया गया हो, प्राप्त प्रतुरोध के मामने में, दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा जिन यनुरोध किया जाता है, लागू करने के लिए स्वीकार किया जाएना तथा उस राज्य में उसके करो को लागू करने तथा उनकी वसूली करने के लिए प्रयुक्त किये जाने वन्ने कानूनों के प्रतुपार वसूला जाएगा।

(3) भारतीय कर क मामते में, केन्द्राय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जिल्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा वाग्तादेण लोक गणराज्य की मत्कार के राष्ट्रीन राजस्त वार्ड का धनुरोध कि म जाएगा तथा उसके साथ भारतीय कान्सो क धनुरोध कि म जाएगा तथा उसके साथ भारतीय कान्सो क धनुराग यथापेक्षित ऐसा प्रमाणपत यह प्रमाणित करने के लिए संतरन किया जाएगा कि उस्त करों को धन्तिम रूप से निर्धारित किया गया है तथा वे कर-दानाओ की ओर बकाया हैं।

(4) बाग्तादेश के करों के मामलें में, बांग्तादेश लोक गणराज्य की सरकार के राष्ट्रीय राजस्व बोई द्वारा भारत में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड बित्त मंत्रालय (राजस्व विमाग) को अनुरोध किया जाएगा तथा उसके साथ बांग्लादेण के कानूनों के अनुसार यथापेक्षित ऐसा प्रमाणपत्न यह प्रमाणित करने के लिए भेजा जाएगा कि उक्त करों को अन्तिम रूप में निर्धारित किया गया है तथा वे कर-दाताओं की ओर बकाया है।

(5) जहां कर संबंधों कोई दावा उसके प्रपील के प्रधीन होने प्रथवा किसी श्रन्य कार्यवाही के कारण अंतिम रूप में देय नहीं बना हो तो उस मामले में एक संविदाकारी राज्य प्रपने राजस्व को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से, दूसरे संविदा-कारी राज्य से इस संबंध में ऐसे प्रन्तरिम उपाय करने के लिए श्रनुरोध कर सकता है जो उस दूसरे संविदाकारी राज्य के काननो के अंनर्गन विधिसंगत है ।

(6) किसी कर-दाता से संदेय करों की वसूली किए जाने में सहायता करने के लिए अनुरोध केवल तभी किया जाएगा यदि अनुरोध करने वाले संविदाकारी राज्य में उस कर-दाता से करो की वसूली किये जाने के लिए उसकी पर्याप्त परिसंपत्तियां उपलब्ध नही हों।

(7) जिस संविदाकारी राज्य में इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1), (2) तथा (5) के अनुसरण में कर की वसूली की जाती है, वह राज्य उसके तत्काल पश्चात् इस प्रकार वसूल की गयी रकम को उस सविदाकारी राज्य के पास भेजेगा

\_-----

जितने इस अलिए अनुरोध किया था परनाु वह ऐसे कार का वस्त्रो कारों में दी गयी मदद अ दौरान किए कए बाग हो, यदि कोई हो, प्रतिपूर्ति '' लिए एकदार होगा ।

# অন্ম্উর 30

# राजनीति और कोरना प्रतिकारी

इस अभिषयत का किनो भो बा ने राज भनिय अथना कामलो अभिक्रतीप्या को पनार गण्डोत तानूस रे साताप नियमो : अपर्गा अथना निशेष पनिस्तमन त उपन्या न अन्तर्गत प्रापा वित्ताय विवेशनिकारा परकोड पभान नहा पडेगा।

# यप्र्याग VI क्रनिगा उप्लय अपुच्छेत्र 31 प्रवन्धंन

(1) इप प्रसितमग्र को जनुसम्बिर किया आएत तता जिल्लो जन्दी एम्भव होगा पतुरम्त्रीत त दासवेजों का प्रादान-प्रवात ढाका पर किया आएगा ।

(2) यह अभि भाषा अनसमर्थन ः दल्तावेजो ः आ तत-प्रदान होने पर प्रवृत्त होगा तथा इसके उपबंध निम्नलिखित के लिए लागू होगे:

- (क) वाग्लादेश मे, जिस वर्र मे अनुनम र्रन के दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया जतता हे उसके अगले अनुवर्ती कैलैण्डर वर्ष मे जुलाई के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी कर-निर्धारण वर्ष के लिए; तथा
- (ख) भारत में, जिस वर्ष मे ग्रनुसमर्थन क दस्तावेजों का ग्रादान-प्रदान किया जाता है उस े अगले ग्रनुवर्ती कैलैण्डर वर्ष में ग्रप्रैं रे प्रथा दिा को ग्रथवा उसके बाद ग्रारम्भ होने वाले किसी कर-निर्वारग वर्ष के लिए ।

#### ग्रनुच्छेद 32

#### पर्यवसान

यह अभिसमय अनिश्चित्र कात तक लागू रहेगा परन्तु संविदाकारी राज्यो में से कोई भी राज्य, इसके लागू होने को तारीख से पांच वर्षों को प्रवधि की ननाप्ति के बाद प्रारम्भ होने वाले किसी भी कैलेण्डर वर्ष में जून के तीसवे दिन को अथवा उसके पहले, राजनयिक माध्यमों से, दूमरे संविदाकारी राज्य को इसके पर्यवसान का लिखित नोटिस दे सकता है । ऐसी स्थिति में यह प्रानसमय निम्नलिखिन के लिए निष्प्रभावी हो जाएगा :

(क) बांग्लादेश मेः

जिस वर्ष मे ऐसा नोटिंग दिया जाता हे उसके प्रगले ग्रनुवर्ती केलैण्डर पर्प मे जुलाई दे प्रथम दित को प्रारम्भ होने वाने किसी कर-निर्धारण वर्ष तथा तत्पक्ष्वात् े वर्षो के लिए कर-निर्धारण योग्य स्राय हे संबंध में;

(ख) भारत मे:

जिम वर्ष में ऐसा नोटिन दिया जाता है उसके अगले अनुवर्नी केलैण्डर वर्ष में अप्रतैल के प्रथम दिन को आरम्भ होने वाले किसो निर्वारण वर्ष तथा तत्रस्वात् के वर्षों के लिए कर-निर्वारण योग्य ग्राय के संप्रध में ।

िल्त र साक्ष्य मे, इन्हे लिए, उनको संबधित सरकारों इत्त, निर्वतन प्राविकृत अधोहम्नाक्षरियों ने इस अभिसमय पर हम्पाजर निए है ।

नई दिली में 27 प्रगस्त, 1991 को हिंदी, बाग्ला तथा अ को नागरा में दो-दो प्रशियों में निष्पन्न किया गया, जिस र ममों राउ समाना. प्रानण्णिक है । अर्थनिरूपण में निस्ता हो। र मामने में अग्रेजी पाठप्रभावी रहेगा।

ž <del>–</del> –

ह/.

भागतार,ज्यक। बाख सरकार को ओर से की माधव सिंह सोलको, ए.एप.। त्रिदेश मती

बाग्लादेश लोक गणराज्य की सरकार की ओर से ए.एग.एग.मोस्ताफिजुर रहमान, विदेश मंत्री

[म्रधिस्वना स. 9086/फा.स. 501/2/72-एफटीडी] टी.एस. ऋष्ण मूर्ति, सयुक्त सचिव

# MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Foreign Tax Division)

# NOTIFICATION

New Delhi, the 8th September, 1992

#### (Income-Tax)

G.S.R. 758(E).—Whereas the annexed Convention between the Government of the Republic of India and the Government of the People's Republic of Banglodesh for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to takes on income has come into force on the 27th Max, 19°2 after the evclange of Instruments of Ratification as required by paragraph I of Article 31 of the said Convention;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 on the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Convention shall be given effect to in the Union of India.

-----

~ ~ ~ ~ ~

# ANNEXURE

#### CONVENTION BETWEEN

#### THE

GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE REPUBLIC OF BANGLADESH FOR THE AVOIDANNCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

# THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

#### AND

# THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC' OF BANGLADESH

Desiring to conclude a Convention for the Avoidance of Double Taxation and Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income HAVE AGREED as follows :

#### Chapter I

# SCOPE OF THE CONVENTION

#### Article 1

# PERSONAL SCOPE

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

#### Article 2

#### TAXES COVERED

(1) The existing taxes to which this Convention shall apply are—

- (a) in the case of Bangladesh : the income tax, (hereinafter referred to as "Bangladesh tax");
- (b) in the case of India :
  - (i) the income tax including any surcharge thereon;
- (ii) the surtax;

(hereinafter referred to as "Indian tax").

(2) This Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed by either Contracting State after the date of signaure of the present Convention in addition to, or in place of, the taxes referred to in paragraph (1). The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantial changes which are made in their respective taxation laws.

# Chapter II DEFINITIONS

- -

#### Article 3

#### GENERAL DEFINITIONS

(1) In this Convention, unless the context otherwill requires .

- (a) the term 'Bangladesb' means the People's Republic of Bangladesh;
- (b) the term "India" means the Republic of India;
- (c) the terms "a Contracting State" and "the of er Contracting State" mean Bangledesh or India as the context requires;
- (d) the term 'tax" mean. Bangladesh tax or Indian tax, as the context requires;
- (c) the term "person" includes on individual, a company and any other ontity which is treated as a taxable unit under the tex laws in force in the respective Contracting States;
- (f) the term "company" means any company, body corporate or any other ontity which is treated as a company under the tax laws of the respective Contracting States;
- (g) the terms "resident of a Contracting State" and "resident of the other Contracting State" mean a person who is a resident of Bangladesh or a person who is a resident of India. as the context requires:
- (h) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting States;
- (i) the term "nationals" means all individuals possessing the nationality of the respective Contracting States and also all legal persons, partnerships and associations deriving their status as much from the law in force in the respective Contracting States;
- (j) the term "competent authority" means in the case of Pangladesh, the National Board of Revenue or their authorised representative and in the case of India, the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue) or their authorised representative;
- (k) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contar "ar-State.

(2) As regards the application of this Convention by a Contracting State any term not otherwise defined shall, unless he context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that Contracting State relating to the taxes which are the subject of this Convention.

#### Article 4

#### RESIDENT

(1) For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State' means any person who, under the law of that State, is liable to taxation therein by reason of his domicile residence, place of management or any other criterion of a similar nature.

(2) Where by reason of the provisions of paragraph (1) an individual is a recident of both Contracting States, then his case shall be determined in accordance with the following rules :

- (a) He shall be deemed to be a resident of the Confracting State in which he has a permanent home available to him. If he has a permanent home available to him in both Contracting States he shall be deemed to be a resident of the Confracting State with which his personal and economic relations are the closest (centre of vital interests);
- (b) If the Contracting State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to hum in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has an habitual abode;
- (c) If he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them he shall be deemed to be a resident of the Contracting State of which he is a national;
- (d) If he is a national of both Contracting States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

(3) Where by reason of the provisions of paragraph (1) a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which its place of effective management is situated

#### Article 5

#### PERMANENT FSTABLISHMENT

(1) For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means p fixed place of business in which the business of the enterprise i wholly or partly caried on

(2) The term "permanent establishment" shall include especially :

- (a) a place of management;
- (b) a branch;
- (c) an office:
- (d) a factory;
- (c) a workshop;

- (f) a warehouse
- (g) a mine, quarry or other place of extraction of natural resources;
- (h) a building site or construction or as embly project or the like which exists for more than 183 days.

(3) The term "permanent establishment" half not be deemed to include :

- (a) the use of facilities solely for the purposes of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprine;
- (b) the maintenance of a stock of good or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display,
- (c) the maintenance of stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the urpose of processing by aonther enterprise;
- (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or for collecting information, for the enterprise;
- (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for scientific research or for similar activities which have a preparatory or auxiliary character for the enterprise.

(4) Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person—other than an agent of an independent status to whom paragraph 5 applies— is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first-mentioned State if—

- (a) he has, and habitually exercises, in the firstmentioned State a general authority to conclude contracts for or on behalf of the enterprise, unless his netivities are limited to the purchase of goods or merchandice for the enterprise, or
- (b) he habitually maintain, in the first-montioned State a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise from which that person regularly delivers goods or merchandise for or on behalf of the enterprise, or
- (c) he habitually secures orders in the firstmentioned State, wholly or clmost wholly, for the enterprise iself, or for the enterrrise or other enterprises which ar controlled by it or have controlling interest in it

(5) An enterprise of a Contracting State shell not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, where such persons are acting in the ordinary course of their business and their activities do not fall within the scope of paragraph (4) (c) above.

(6) The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whother through a permanent establishment or otherwise) shall not of itself make either company a permanent establishment of the other

----=

\_\_\_\_\_

(7) An enterprise of a Contracting State shall be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State if it carries on a business which consists of providing the services of public entertainers (such as stage, motion picture, radio or television artistes and musicians) or a hictes in that other Contracting State unless such services are provided within the scope of a cultural or sports exchange programme agreed to by both the Contracting States

#### Chapter III

#### TAXATION OF INCOME

#### Article 6

#### INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

(1) Income from immovable property shall be taxably only in the Contracting State in which such property is situated.

(2) The term 'immovable property" shall be defined in accordance with the law and usage (having the force of law) of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture forestry and fishery, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply. u ufruce of immovable property and rights to variable or fixed payments in cash or kind as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships and aircraft shall not be regarded as immovable proper'y

(3) The provisions of paragraph (1) shall apply to income derived from the direct use, lotting, or use in any other form of immovably property.

(4) The provisions of paragraphs (1) and (3) shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance or independent personal services.

#### Article 7

#### BUSINESS PROFITS

(1) The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that state roll is the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanant establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforeisaid, then so much of the profits of the enterprise as is attributable to that permanent establishment shall be earable only in that other Contracting State

(2) Where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall 2271 GI/92-2

in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to  $mak_{\mathfrak{C}}$  if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment. In any case, where the correct amount of profits attributable to a permanent establishmeet is incapable of determination or the ascentainmost thereof presents exceptional difficulties, the profits attributable to the permanent establishment may by computed on a reasonable basis.

भारत का राजपत झमाधारण

\_\_\_\_\_

(3) In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the putpose of the permanent establishment including executive and general administrative expense, so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere, but this does not include any expenses which, under the law of that S ale, would not be all wid to be deducted by an enterprise of that Stade

(4) Ita so far as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profils of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph (2) shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apport opment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles laid down in this Article.

(5) No profits shall be attribute + to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

(6) For the purpose of the preceding paragraphs, the profes to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

(7) Where profis include tems of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article

#### Art cle 8

#### AIR TRANSPORT

(1) Profis derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State.

(2) The provisions of paragraph (1) shill lk, wise apply in respect of income derived from participation in pools of any kind by enterprise engaged in air t-nrs port

#### Art rle 9

#### SHIPPING

(1) Profits of an enterplise of a Contracting State derived from the other Contracting State from the operation of ships in international traffic may be taxed

in that other Contracting State, but the tax chargeable in that other Contracting State on such income shall be reduced by an amount equal to fifty there cent of such tax.

\_\_\_\_ \_ \_

(2) The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits derived from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

#### Article 10

# ASSOCIATED ENTERPRISES

Where ----

- (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirec'ly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions have accrued to one of the enterprises, but by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

#### Article 11

#### DIVIDENDS

(1) Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

(2) However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that Contracting State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends, the 10% so charged shall not exceed;

- (a) 10 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company which holds directly at least 10 per cent of the capital of the company paying the dividends;
- (b) 15 per cont of the gross amount of the dividends in all other cases.

This paragraph shall not affect the taxation of the ompany in respect of the profits out of which the lividends are paid.

(3) The term "dividends" as used in this Article teans income from shares, mining shares, founder's lares or other rights, not being debt-claims, particiating in profits, as well as income from other cororate rights which is subjected to the same toxition eatment as income from shares by the laws of the 'ate of which the company making the distribution a resident. (4) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

-----

(5) Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other Contracting State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other Contracting State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other Contracting State, nor subject the company's undistributed profits t a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other Contracting State.

#### Article 12

#### INTEREST

(1) Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

(2) However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed—10 per cent of the gross amount of the interest.

(3) Notwith-canding the provisions of paragraph

- (2) :
  - (a) interest arising in India and paid to the Government of Bangladesh or to the Bangladesh Bank shall be exempt from Indian tax;
  - (1) interest arising in Bangladesh and paid to the Government of India or to the Reserve Bank of India shall be exempt from Banglalesh tax.

The competent suthorities of the Contracting States may determine by mutual agreement any other institution to which this paragraph shall apply.

(4) The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from povernment securities and income from bonds or debentures, including preminnes and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article. (5) The provisions of paragraphs (1) to (3) shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other Contracting State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

(6) Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a political sub-division, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

(7) Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or betwcen both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim tor which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the lastmentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

#### Article 13

#### ROYALTIES

(1) Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

(2) However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the laws of that Contracting State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties.

(3) The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work, including cinematograph films, or films or tapes used for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model. plan. secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial, or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience but dees not include any payments in respect of the operation of mineral deposits, sources and other natural resources.

2271 GI 92-4.

(4) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

(5) Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a political sub-division, a local authority or a resident of that Contracting State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

(6) Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

#### Article 14

#### CAPITAL GAINS

(1) Subject to the provisions of paragraph (3), capital gains arising from the sale, exchange or transfer of a capital asset as defined under the respective tax laws of the Contracting States shall be taxable only in the Contracting State in which the capital asset is situated at the time of such sale, exchange or transfer.

(2) For the purpose of this Article, the situs of the shares of a company shall be deemed to be in the Contracting State in which the company is incorporated.

(3) Capital gain's derived from the sale, exchange or transfer of a capital asset being a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that Contracting State.

#### Article 15

# INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

(1) Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activides of an independent character shall be taxable And a second second

enly in that Contracting State. However, such income may be taxed in the other Contracting State if .

- (a) he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purposes of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other Contracting State; or
- (b) he is present in the other Contracting State for a period or periods exceeding in the aggregate 120 days in the previous year or income year concerned of that Contracting State.

(2) The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities, as well as the independent perivities of physicians, surgeons, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

#### Article 16

#### DEPENDENT PERSONAL SERVICES

(1) Subject to the provisions of Articles 17, 19 and 20 salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that Contracting State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom shall be taxable only in that other Contracting State.

(2) Notwithstanding the provisions of paragraph (1), remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned Contracting State, if :

- (a) he is present in that other Contracting State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days during the 'previous year' or 'hoome year' concerned or he is present in that other Contracting State for any period which forms part of a continuous period exceeding 183 days throughout which he is present in that other Contracting State and
- (b) the remuneration is paid by, or on behalf of an employer who is not a resident of the other Contracting State and
- (2) the remuneration is not deducted from the profits of a permanent establishment chargeable to tax in that other Contracting State

(3) Notwithstanding the provisions of paragraphs (1) and (?) of this Attic<sup>1</sup>e remuneration for personal services performed abroad a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State in international traffic shall be taxable only in that Contracting State.

#### Article 17

#### DIRECTOR'S FEES

D rector's fees and similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the Board of Directors of a company which is a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other Contracting State.

#### Article 18

# ENTERTAINERS AND ATHLETES

(1) Notwithstanding the provision, of Articles 15 and 16, income derived by a resident of a Contracting S'ate as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as an athlete, from his personal activities as such exercised in the other Contracing State, may be taxed in that other Contracting State

(2) Where shoome in respect of personal activities exercised by an entertainer or  $a_n$  athlete in his capacity  $a_5$  such accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income riay, potwithstanding the provision of Articles 7, 15 and 16, be taxed in  $dh_2$  Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised.

(3) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply to remuneration or profits, salaries, v ages and similar income derived from activities performed in a Contracting State by entertainers athlete if their visit to that State is substantially supported from the public funds of the other Contracting State, including those of any political sub-division, a local authority or statutory body thereof, nor to income derived by a non-profit making organization in respect of such activities provided no part of its income is pavable to, or is otherwise available for the personal benefit of its proprietors, members or shareholders

#### Article 19

#### NON-GOVFRNMENTAL PENSIONS

(1) Any pension other than pension to which paragraph (1) of Article 20 applies and any annuity derived from sources within a Contracting State by an individual, who is a resident of the other Contracting State, shall be taxable only in the first-mentioned Contracting State

(2) The term "pension" as used in Article 20 and this Article means periodic payments made in consideration for serivces renered or by well of compensation for injuries received.

(3) The term "annuity" as used in paragraph (1), means a stated sum payable periodically at stated times, during life or during a specified or ascertainable region or time under an obligation to make the payment in return for adequate and full consideration in money or money's wort's

. \_ . . . . . . ...

#### REMUNERATION ND GOVERNMENTAL PENSION

(1) Remuneration including pensions paid by or out of funds created by a Contracting State or a political sub-division or a local authority thereof, to any individual who is a cilizen of that Contracting State in respect of serivices rendered to that Contracting State or political sub-division or local author rity thereof in the discharge of functions of a gov ernmental nature shall be taxable only in that Stalo.

(2) The provisions of paragraph (1) shell not apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with any business carried on by Government of either of the Contracting States of a political sub-division or a local authority thereof for the purpose of profit

(3) The provisions of paragraph (1) of this Article shall also apply to remuneration including pensions paid by the Reserve Bank of India and the Bangladesh Bank.

#### Article 21

# STUDENTS, TRAINEES AND APPRENTICES

(1) An individual who is a resident of a Contracting State and who is temporarily present in the other Contracting State, solely --

- (a) as a student at a recognised university, college, school or other educational institution in the other Contracting State, or
- (b) as a business or technical apprentice in an organisation other than a permanent establishment of an enterprise of the firstmentioned Contracting State, or
- (c) as the recipient of a grant, allowance or award for the primary purpose of study or from a religious, chairtable, research scientific or educational organisation,

shal be exempt from tax in that other Contracting State in respect of ----

- (i) the remittances from abroad for the pur-- pose of his maintenance, education, study, - reserch or training; the maximum period of exemptions being five years;
  - (ii) the grant, allowance or award; and
  - (iii) any amount not exceeding the sum of Rs. 15,000 - per annum or its equivalent sum in Bangladesh currency during the 'previous year' or 'income year', as the case may be representing remuneration for an employment in that other Contracing State if the employment is related with this studies or his training of if it is necessary for his maintenance.

(2) An individual who is a resident of a Contracting State and who is temporarily present in the other Contracting State for a period not exceeding one year,

\_ \_\_\_ as an employee of, or under contract with, an enterprise of the first-mentioned Contracting State or an organisation referred to in sub-paragraph (c) of paragraph (1), solely to acquire technical, professional or busine's experience from a person other than such enterprise or organisation, shall be exempt from tax in that other Contracting State in respect of remuneration for such period for his services directly related to the acquisition of such experience, to the extent such remuneration does not exceed the sum of Rs. 12,000 per annum or its equivalent sum in Bangladesh curreacy, during the 'previous year' or the 'income year'. as the case may be.

(3) An individual who is a resident of a Contracting State and who is temporarily pre-ent in the other Contracting State under arrangements with the Goverament of that other Contracting State or any egency thereof solely for the purpose of training, study or crientation shall be exempt from tax in that other Contracting State in respect of remuneration received by him on account of such training, study or orientation

#### Article 22

## PROFESSORS, TEACHERS AND RESEARCHERS

(1) A professor or a teacher who visits a Contracting State for the purposes of teaching or engaging in research, or both, at a university, college, school or other approved institution in that Contracting State and who is, or was immediately before such visit, a resident of the other Contracting State, shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State on any remuneration for such teaching or research for a period not exceeding two years from the date of his arrival in that Contracting State,

(2) This Article shall not apply to income from research if such research is undertaken primarly for the private benefit of a specific person or persons.

(3) For the purposes of this Article and Article 21, an individual shall be deemed to be a resident of a Contracting State if he is resident in that Contracting State in the 'previous year' or 'income year' in which he visits the other Contracting State, or in the immed'ately preceding 'previous year' or 'income year' as the case may be.

(4) For purposes of paragraph (1), 'approved institution' means an institution which has been approved in this regard by the competent authority of the concorned Contracting State.

#### Article 23

#### INCOME OF GOVERNMENT AND INSTITUTIONS

(1) The Government of one of the Contracting States shall be exempt from tax in the other Contracting State in respect of any income derived by such Government from that other Contracting State.

(2) For the purposes of paragraph (1) of this Article, the term 'Government'-

(a) in the case of India means the Government of India and shall include---

-----

- (i) the Governments of the States and the Union territory of India;
- (ii) the Reserve Bank of India;
- (iii) any such institution or body as may be agreed from time to time between the two Contracting States.
- (b) in the caes of Bangladesh means the Government of the People's Republic of Bangladesh and shall include ---
  - (i) the Bangladesh Bank,
  - (ii) any such institution or body as may be agreed from time to time between the two Contracting States

#### Article 24

#### INCOME NOT L'APRESSLY MENTIONED

The laws in force in each Contracting State shall continue to govern the taxation of incomes in the respective Contracting States, except where express provision to the contrary has been made in this Convention.

#### Chapter IV

#### METHOD FOR THE ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

#### Article 25

#### Elimination of Double Taxation

(1) In the case of a resident of India, double taxation shall be avoided as tollows:

Subject to the provisions of Indian tax law regarding the allowance as a credit against Indian tax of tax payable in any country other than India (which shall not affect the general principle hereof) the Bangladesh (excluding in the case of a tax payable dividend, tax payable in respect of the profits out of which the dividend is paid) under the laws of Bangladesh and in accordance with this Convention, whether directly or by deduction, in respect of income from sources within Bangladesh which has been subjected to tax both in Bangladesh and India shall be allowed as a credit against Indian tax payable in respect of that income. The credit shall not, however, exceed that proportion of Indian tax which the income from sources within Bangladesh bears to the entire income subject to Indian tax :

Provided that such credit shall not exceed Indian tax (as computed before allowing any such credit), which is appropriate to the income derived from sources within Bangladesh, so, however, that where such resident is a company by which surtax is payable in India the credit aforesaid shall be allowed in the first instance against income tax payable by the company in India, and as to the balance if any against surtax payable by it in India, (2) For the purposes of paragraph (1), the term "Bangladesh tax rayable" shall be deemed to include the amount of Bangladesh tax which would have been payable if the Bangladesh tax had not been exempted or reduced in accordance with the following provisions of Bangladesh law:

- (a) clause (x) of Section 29(1), section 45 and section 46 of the Income Tax Ordinance, 1984.
- (b) paragraph 7 of the Third Schedule to the income Tax Ordinance, 1984;
- (c) paragraphs 10, 11, 12, 13, 15 and 22 of Part B of the Sixth Schedule to the Income Tax Ordinance, 1984;
- (d) paragraphs (c), (e), (f), (g) and (h) of Notification number S.R.O. 417A-L|76, dated 29 November, 1976; and paragraphs (a), (b) and (d), of the said Notitication so far as the exemption or relief relates to loans made with a view to promoting conomic development in Bangladesh;

So far as they were in force on, and have not been modified since, the date of signature of this Convention, or have been modified only in minor respects so as not to affect their general character; or

(e) under any other provision which may subsequently be made granting an exemption or reduction of tax which is agreed by the competent auhori ies of the Contracting States to be of a substantially similar character, if it has not been modified thereafter or has been modified only in minor respects so as not to affect its general character :

Provided 'hat the amount of the tax referred to in this paragraph shall not, however, exceed :

- (a) in the case of dividends an amount equal to 10 per cent of the gross amount of such dividends in the case of dividends referred to in paragraph 2(a) of Article 11 and 15 per cent of the gross amount of dividends in the case of dividends referred to in paragraph 2(b) of Article 11;
- (b) in the case of interest an amount equal to 10 per cent of the gross amount of such interest; and
- (c) in the case of royalties an amount equal to 10 per cent of the gross amount of such royalties.

(3) In the  $ca_{set}$  of a resident of Bangladesh, double taxation shall be avoided as follows :

Subject to the provisions of the law of Bangladesh regarding the allowance as a credit against Bangladesh tax of tax payable in any country other than Bangladesh (which shall not affect the general principle hereof), the Indian tax payable (excluding in the case of dividends, tax payable in respect of the profits out of which the dividend is paid) under the law of India and in accordance with this Convention, whether directly or by deduction, by a resident of Bangladesh in respect of income from sources within India which has been subjected to tax both in India and Bangladesh shall be allowed as a credit against Bangladesh tax payable in respect of such income, but in an amount not exceeding that proportion of Bangladesh tax which such income bears to the entire income chargeable to Bangladesh tax.

(4) For the purpose of paragraph (3) of this Article the term "Indian tax payable" shall be deemed to include  $ar_1$  amount which would have been payable as Indian tax for any year but for an exemption or reduction of tax granted for that year or any part thereof under :

- (a) any of the following provisions, that is to say, sections 10(4), 10(4A), 10(6) (viia), 10(15) (iv), 10A, 32A, 33A, 35C, 35CC, 54E, 80CC, 80HH, 80HHA, 80I, 80J, 80K, 80L of the Income Tax Act, 1961; or
- (b) a 1/ other provisions which may subsequently be made granting an exemption or reduction of tax which is agreed by the competent authorities of the Contracting States to be of a substantially similar character of it has not been modified thereafter or has been modified only in minor respects so as not to affect its general character :

Provided that the amount of the tax referred to in this paragraph shall not, however, exceed :

- (a) in the case of dividends an amount equal to 10 per cent of the gross amount of such dividends in the case of dividends referred to in paragraph 2(a) of Article 11 and 15 per cent of the gross amount of dividends in the case of dividends referred to in paragraph 2(b) of Article 11;
- (b) in the case of interest an amount equal to 10 per cent of the gross amount of such interest; and
- (c) in the case of royalties an amount equal to 10 per cent of the gross amount of such royalties.

#### Chapter Y

#### SPECIAL PROVISIONS

#### Article 26

#### NON-DISCRIMINATION

(1) The nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or a  $\gamma$  requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances and under the same conditions are or may by subjected.

(2) The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other Contracting State than the taxation levied on enterprises of that other Contracting State carrying on the same activities in the same circumstances and under the same conditions.

(3) Enteprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdencome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned Contracting State are or may be subjected in the same circumstances and under the same conditions.

(4) Nothing contained in paragraphs (1), (2) and (3) of this Article shall be construed as ---

- (a) obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions which it grants to its own residents;
- (b) affecting any provisions of the tax laws of the respective Contracting States regarding the imposition of tax on non-resident persons as such;
- (c) affecting any provisions of the tax laws of the respective Contracting States regarding any tax concessions granted to persons fulfilling specified conditions.

(5) In this Article the term "taxation" means taxes which are the subject of this Convention.

#### Article 27

#### MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

(1) Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Convention, he may notwithstanding the remedies provided by the national laws of those Contracting States, present the cave to the competent auhoriy of the Contracting State of which he is a resident. The case must be presented within three years from the date of the assessment or of the withholding of tax at the source whichever is later.

(2) The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State with a view to the avoidance of taxation not in accordance with this Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the national laws of the Contracting States.

(3) The competent authorities of the Contracting State shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of this Convention. They may also consult together for the climination of double taxation in cases not provided for in this Convention. (4) The competent authority of the Contracting States may communicate with each other directly for the purposes of applying the provisions of this Convention. When it seems advisable is order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

#### Article 28

#### EXCHANGE OF INFORMATION

(1) The competent authorities of the Contracting  $State_{s}$  shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or for the prevention or detection of evasion or avoidance of the taxes which are the subject of this Convention. Any information so exchanged shall be treated as secret but may be disclosed only to persons (including a court or administrative body) concerned with the assessment, collection, enforcement or prosecution in respect of the taxes which are the subject to whom the information relates.

(2) The exchange of information shall be either on a routine basis or on request with reference to particular cases, or both. The competent authorities of the Contracting States shall agree from time to time on the list of information which shall be furnished on a routine basis.

(3) In no case shall the provisions of paragraph (1) be construed so as to impose on a Contracting State the obligation :

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws or administrative practice of that or of the other Contracting State;
- (b) to supply information which are not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- (c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process or information the disclosure of which would be contrary to public policy.

#### Article 29

## ASSISTANCE IN COLLECTION

(1) The two Contracting States undertake to lend assistance and support to each other, in the collection of the taxes to which this Convention relates, in the cases where the taxes are definitely due according to the laws of the Contracting State making the request.

(2) In the case of a request for enforcement of collection, tax claims of either of the Contracting States which have been finally determined will be accepted for enforcement by the other Contracting State to which the request is made and collected in that Contracting State in accordance with the laws applicable to the enforcement and collection of its own taxes.

(3) In the case of Indian tax, the request will be sent by the Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department of Revenue) to the National Board of Revenue of the Government of the People's Republic of Bangladesh and will be accompanied by such certificate as is required by the laws of India to establish that the taxes have been finally determined and are due from the tax payer.

(4) In the case of Bangladesh tax, the request will be sent by the National Board of Revenue of the Government of the People's Republic of Bangladesh to the Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department of Revenue) in India and will be accompanied by such certificate as is required by the laws of Bangladesh to establish that the taxes have been finally determined and are due from the taxpayer.

(5) Where the tax claim has not become final by reason of its being subject to appeal or any other proceeding, a Contracting State may, in order to protect its revenues, request the other Contracting State such interim measures in this behalf as are lawful under the laws of that other Contracting State.

(6) A request for assistance in collection of taxes due from a taxpayer shall be made only if adequate assets of that taxpayer are not available for recovering the taxes from him in the Contracting State making the request.

(7) The Contracting State in which tax is recovercd in pursuance of paragraphs (1), (2) and (5) of this Article shall immediately thereafter remit the amount so recovered to the Contracting State which made the request but it shall be entitled to reimbursement of costs, if any, incurred in the course of rendering assistance in the recovery of such tax.

#### Article 30

# DIPLOMATIC AND CONSULAR OFFICIALS

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic or consular officials under provisions of special Convention.

#### Chapter VI

#### FINAL, PROVISIONS

#### Article 31 --

#### ENTRY INTO FORCE

(1) This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at Dhaka as soon as possible.

(2) This Convention shall enter into force upon the exchange of the instruments of ratification and its provisions shall have effect :

(a) in Bangladesh, for any year of assessment beginning on or after the first day of July in the calendar year next following that in which the exchange of instruments of ratification takes place; and . . . . .

(b) in India, for any year of assessment beginning on or after the first day of April in the calendar year next following that in which the exchange of instruments of ratification takes place

#### Article 32

#### TERMINATION

This Convention shall remain in force indefinitely but either Contracting State may, on or before June 30 in any calendar year beginning after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force, give to the other Contracting State, through diplomatic channels, written notice of termination. In such event, the Convention shall cease to have effect :

(a) in Bangladesh <sup>1</sup>

In respect of income assessable for any vear of assessment commencing on 1st day of July in the calendar year next following that in which such notice is given, and subsequent years;

(b) in India ·

In respect of income assessable for any year of assessment commencing on 1st day of April in the calcudar year next following that in which such notice is given, and subsequent years.

In Witness Whereof the undersigned, duly authorised thereto by their respective Governments have signed this Convention.

Done in duplicate at New Fielhi on 27th August, 1991 in Hindi, Bengali and English Languages, all text, being equally authentic. In the case of divergence of interpretation the English text shall prevail.

Government of the Republic of India

#### Sd]-

#### (MADHAVSINH SOLANKI) Minister of External Affairs Government of the People's Republic of Bangladesh

Sd|-

(A.S.M. MOSTAFIZUR RAIIMAN) Minister for Foreign Affairs

> [No. 9086]F. No. 501]2,72-FTD] T. S. KRISHNA MURTHI, Jt. Secy.

> > ----